१. अनुशासनिक कार्यवाही

[1]

पत्र संख्या-2/ सी 3-3087/96 का०-2144

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री विजय शंकर दुबे, मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 15 मार्च, 2000

विषय :- अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन ।

महाशय,

सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विहित प्रक्रिया सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1930, बिहार-उड़ीसा सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स, 1935 एवं बोर्ड मिसिलेनियस रूल्स, 1958 के तहत प्रावधानित है । कर्मचारी द्वारा गलत कार्य करने का तथ्य सामने आने पर स्पष्टीकरण पूछकर विभागीय कार्यवाही की जाती है, या सम्यक रूप से विचारोपरान्त लघु दंड दिया जाता है । आरोप की गंभीरता को देखते हुए समय-समय पर सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने की अनुशंसा प्राप्त होती है । किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन इसके साथ ही संबंधित कर्मचारी द्वारा किये गये गुनाह की समीक्षा कर तथा उसके विरुद्ध आवश्यकतानुसार विधिवत आरोप-पत्र गठित कर एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्यवाही की जाती है । पूर्व में पत्र संख्या- 188, दिनांक 9.1.53, पत्र सं०-4698, दिनांक 4.4.1960, पत्रांक 13046, दिनांक 7.7.78 एवं ज्ञापांक 3405, दिनांक 12.2.1982 द्वारा सरकार द्वारा निदेश दिया गया है कि निलंबन आदि की कार्रवाई के पूर्व विधिवत रूप से आरोप-पत्र गठित किया जाए ताकि निलंबन के साथ-साथ आरोप-पत्र भी सरकारी सेवक को उपलब्ध करा दिया जा सके । खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अनुदेश का सम्यक अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण निलंबित कर्मचारी बहुतेरे मामलों में न्यायालय के समक्ष जाकर इसी बिन्दु को उठाकर प्रताड़ित होने का दावा पेश करते हैं और अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लेते हैं ।

2. अतः सम्पूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त सभी कार्यालयों को यह निदेश दिया जाता है कि निलंबन संबंधी अनुशंसा भेजने के समय विधिवत रूप से आरोप-पत्र का गठन कर प्रशासी विभाग को अवश्य भेजें । आरोप-पत्र के गठन के संबंध में राज्य सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों के बारे में सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स की धारा-55 (1) तथा अराजपत्रित एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों के बारे में बोर्ड मिसिलेनियस रूल्स की धारा-167 तथा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक है । आरोप-पत्र स्पष्ट रूप से गठित हो जिसमें यह उल्लेख रहे कि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा कौन-से सरकारी निदेश / नियम / कानून का उल्लंघन कब और किस प्रकार किया गया है । आरोप-पत्र के साथ

साक्ष्यतालिका भी आवश्यक है। बिना विधिवत आरोप-पत्र गठित किये हुए निलंबन की अनुशंसा करने पर संबंधित सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई होगी।

विश्वासभाजन,
ह०/- विजय शंकर दुबे
मुख्य सचिव, बिहार।

---

[2]

पत्र संख्या-2 / सी 3-6003 / 99 का० – 4646
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री देवाशीष गुप्ता, सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 7 जून. 99.

विषय :- राज्य सरकार के अधीनस्थ वरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा दिये गये दण्ड के विरुद्ध असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-57 (5) के अंतर्गत अपील दायर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त नियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वरीय पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई में लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया निर्धारित है। कुछ मामलों में दंडित पदाधिकारी द्वारा महामहिम के समक्ष अपील दायर किया गया और इसकी वैधानिकता को लेकर समीक्षा की गयी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में शमशेर सिंह-बनाम-पंजाब राज्य संबंधी वाद (1974-एस०सी० 2192) एवं संघ लोक सेवा आयोग-बनाम-सुरेश चन्द्र तिवारी एवं अन्य (ए०आई०आर० 1987 एस०सी० 1953) का जिक्र करते हुये उल्लेख किया गया है कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा इसपर महामहिम का हस्ताक्षर करने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में श्री बी०एम० लाल, महामहिम के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री बी०पी० अम्बष्ट द्वारा प्रेषित बिहार प्रशासनिक सेवा के एक पदाधिकारी के अपील के संबंध में की गयी वैधानिक समीक्षा पत्रांक -1093 दिनांक 13.5.99 का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

" Recently the Hon'ble Patna High Court in the order dated 08.02.99 C.W.J.C. No.-5304/97 (Nageshwar Dutta Pandey Vrs. State of Bihar & others) (Copy enclosed) has stated that in the case of Shamsher Singh Vrs. State of Punjab (AIR SC 2192) a Seven Judge Bench of the Apex Court held that the appointment as well as removal of the members of the Service are Executive functions of the Government with respect to which the

Governor has no discretion. He is supposed to act only on the aid and advice of the Council of Ministers. In this view of the matter, it can not be said that the appeal was required to be decided by the Governor himself. The decision in Shamsher Singh's case does not appear to have been brought to the notice of this Court in the case of Rajendra Prasad Singh Vrs. State of Bihar and others (1997(1) PLJR-841).

In the light of the aforesaid decision, the appeal of Shree...........is not required to be decided by the Governor himself, rather the same is to be decided on the aid and advice of the Council of the Ministers."

2. यह आपके सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव ।

---

[3]

पत्र संख्या-3/ एम 1-1072/98 का० - 13110

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ए०बी० प्रसाद, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

वरीय उप महालेखाकार (ह०), महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना 15, दिनांक 16 दिसम्बर, 1998

विषय :- विभागीय कार्यवाही में पारित आदेश के तहत संसूचित दण्ड की प्रभावी तिथि के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- जी०ए० सामान्य 22 दिनांक 9.11.98 के प्रसंग में मुझे कहना है कि विभागीय कार्यवाही के पश्चात यदि किसी सरकारी सेवक को आर्थिक सजा यथा - वेतन वृद्धि पर रोक आदि की सजा दी जाती है तो उसका प्रभाव उसी अवधि में पड़ेगा जिस अवधि में आरोप के चलते उन्हें सजा दी गई हो भले ही सजा का आदेश बाद में क्यों न निर्गत हुआ हो । तात्पर्य यह है कि आरोप अवधि के पूर्व सरकारी सेवक को जिस प्रक्रम पर अंतिम वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत किया गया हो उसके ठीक बाद की अवधि में उक्त दंड का प्रभाव होगा एवं विहित दंड के अनुसार ही वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।

तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए.बी. प्रसाद
सरकार के अपर सचिव ।

[4]

पत्र संख्या- सं०सं० (ख) -801/ 95 का० – 323

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची / महाधिवक्ता, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 4 अप्रिल. 96.

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों (अराजपत्रित तथा राजपत्रित) के विरुद्ध अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों की संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 जो सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों का संयुक्त संवर्ग अधिनियम, 1989 के अधीन निर्मित है, के नियम-11 के अनुसार संवर्ग के सभी श्रेणी के पदों का प्रशासी विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है, जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए अधिकृत है । इस दृष्टि से सहायक संवर्ग के किसी सदस्य को निलंबित करने, विभागीय कार्यवाही चलाने और दंड देने की शक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रदत्त है । अन्य विभागों / कार्यालयों को संवर्ग के सदस्यों पर मात्र परिचालनात्मक नियंत्रण (Operational Control) की शक्ति प्राप्त है जो नियमावली के नियम-12 में स्पष्ट उल्लिखित है । संयुक्त संवर्ग नियमावली के नियम-4 के अनुसार सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक, प्रवर कोटि सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, निबंधक, अवर सचिव, उप सचिव एवं समकक्ष पद अथवा वैसे पद, जो संवर्ग के किसी श्रेणी के सदस्य की प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं या भरे जाय, संयुक्त संवर्ग के सदस्य हैं ।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-485 दिनांक 7.12.93 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा भी पूर्व में इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सहायक संयुक्त संवर्ग नियमावली के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध आपसे किया गया था । किन्तु इसके बावजूद सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों को जिस विभाग / कार्यालय में वे पदस्थापित हैं, उक्त विभाग / विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें निलंबित किये जाने, विभागीय कार्यवाही चलाने और कभी-कभी दंडित किये जाने की कार्रवाई भी की जाती रही है । इससे प्रशासनिक तथा न्यायिक उलझनें पैदा होती हैं । कई मामलों में अन्य विभागों / विभागाध्यक्षों द्वारा निलंबित किये जाने या विभागीय कार्यवाही चलाने के विरुद्ध संबंधित पदाधिकारी अक्सर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जाते हैं और माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अक्सर ऐसे आदेशों को निरस्त भी कर दिया जता है । सी०डब्लू०जे०सी० संख्या- 7306/95 (राजेश्वर प्र० वर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा

पारित आदेश की प्रतिलिपि इस संबंध में संलग्न है ।

3. वर्णित परिस्थिति में, अनुरोध है कि सहायक संयुक्त संवर्ग के किसी भी सदस्य को अपने स्तर से निलंबित या अन्य प्रकार से दंडित या उनपर विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी जाय । यदि किसी सदस्य के विरुद्ध उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित प्रतीत हो और उनके आधार पर उन्हें निलंबित करने, दंडित करने या विभागीय कार्यवाही चलाने का प्रस्ताव हो, तो विहित प्रपत्र में आरोप पत्र सभी साक्ष्यतालिका एवं अन्य अपेक्षित कागजातों व अपनी अनुशंसा के साथ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या- सं०सं०- 7015 / 93 का०- 485
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची ।

पटना-15, दिनांक 7 दिसम्बर, 1993.

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों (अराजपत्रित तथा राजपत्रित) के विरुद्ध संयुक्त संवर्ग नियमावली 1992 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के सूत्रपात, संचालन एवं निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग-अधिनियम, 1989 की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 निर्मित की गई है तथा उसे दिनांक 30.8.88 से प्रवृत्त भी किया गया है । इस संवर्ग के "सदस्य" को उक्त नियममावली के नियम-2 (10) में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार सहायक, प्रवर कोटि सहायक तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उससे उच्चतर अन्य सभी राजपत्रित पदों के लिये राज्यपाल नियुक्ति पदाधिकारी बनाये गये हैं ।

2. इसके बावजूद अनेक ऐसे मामले अक्सरहाँ इस विभाग की जानकारी में आ रहे हैं, जिनमें उक्त नियमगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना ही विभिन्न विभागों / विभागाध्यक्षों द्वारा सचिवालय एवं संलग्न

कार्यालयों के सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और उन्हें निलंबित तथा दंडित भी कर दिया जाता है । अन्त में दंडित सदस्य के विरोध प्रकट करने पर ऐसे मामले कार्योत्तर स्वीकृति के लिये इस विभाग में भेजे जाते हैं । ऐसे नियम विरुद्ध निर्णयों की समीक्षा करने तथा उनमें सहमति देने में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अत्यन्त ही कठिनाई होती है ।

3. अत: अनुरोध है कि संयुक्त संवर्ग नियमावली के प्रावधान के अनुसार ही कार्रवाई की जाय जिससे अनावश्यक कानूनी उलझन उत्पन्न न हो।

4. उपर्युक्त निदेशों का सुदृढ़ एवं अचूक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या- सं०सं०-7015/93 का०-485 पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 93.

प्रतिलिपि – शाखा सचिवालय, राँची/ महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एस०एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव ।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

C.W.J.C. No. 7306 Of 1995.

Rajeshwar Prasad Verma Vs. The State of Bihar & Others

3. 5.12.95 - The petitioner is holding the post of Section Officer under the Respondents-State and is posted in the Department of Information & Public Relations. He has challenged the order of Suspension dated 26th April, 1995 as contained in Annexure-1 issued by the Respondent Director General, Department of Information & Public Relations.

Prior to 30th August, 1988, the cadres of Ministerial Employees including the Section Officers were separate and department-wise in the Secretariat of the State Government. By one Resolution dated 30 the August, 1988, which was subsequently made an Act known as Secretarial & Attached Office's Assistant Joint Cadre Act of 1989, a Joint Cadre of Ministerial Employees of all the Department of Secretariat were made. Since 30th of August, 1988, admittedly, the JoinCadre of Section Officers have been made of which the Secretary, Department of Personnel and Administrative Reforms is the appointing

authority. In the year 1992, a Rule was also framed in pursuance of the said Act, wherein the Secretary of the Personnel and Administrative Reforms Department has been made appointing authority with respect to Section Officers. The powers of suspension is also vested with the Secretary of the Personnel & Administrative Reforms Department since 30 the August, 1988 with respect to Section Officers. According to the counsel for the petitioner, the Director General of the Department of Information & Public Relations having no jurisdiction to suspend the petitioner, the C.W.J.C. no. 7306 of 1995.

Impugned order dated 26th April, 1995 (Annexure-1) is fit to set aside. He relied on an unreported decision of this court given in the case of Baleshwar Prasad Singh Vs. the State of Bihar and others passed in C.W.J.C. No. 8593 of 1995, disposed of on 2nd November, 1995.

The Counsel for the state submits that though the Director General had no jurisdiction to suspend the petitioner, but the said order has now been confirmed by the competent authority/disciplinary authority i.e. the authorities of the Personnel and Administrative Reforms Department of the State of Bihar. It is submitted that the order of suspension having been confirmed by the disciplinary authority, the writ petition should be dismissed.

According to me if an order is completely without jurisdiction and thereby is illegal, the same cannot be confirmed and / or approved even by the disciplinary authority. Accordingly, I hold that the impugned order dated 26th April, 1995 (Annexure-1) is completely without jurisdiction and I set aside the same. The consequential order which has been issued by the Personnel and Administrative Reforms Department, confirming the order, as contained in Annexure-1, is also set aside. However it is open to the competent authority to proceed, in accordance with law.

A counter affidavit so filed to day in Court on behalf of Respondent No. 3, be kept on the record.

The writ petition is allowed with the aforementioned observations and directions.

Sd/- S.J. Mukhopadhaya

[5]

सं० प०/ 18-03-010/ 92 – 107

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिलाधिकारी ।

पटना- 15, दिनांक 6 नवम्बर, 1993

विषय :- निलंबित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को निलम्बन मुक्त कर पुन: नियुक्त (Reinstate) करने के संबंध में ।

स्मार दिनांक
(1) 14.8.72
(2) 27.8.72
(3) 9.9.72
(4) 20.10.92
(5) 16.12.92
(6) 5.2.93

महोदय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 39 दिनांक 16.6.71 एवं पार्श्वांकित स्मार पत्रों के प्रसंग में उपर्युक्त विषय पर प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या- 605 दिनांक 18.8.78 (प्रतिलिपि संलग्न) श्री पी० पी० नैयर, मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या- 8537-का० दिनांक 6.7.81 (प्रतिलिपि संलग्न) एवं 9160 दिनांक- 21.7.86 (प्रतिलिपि संलग्न) का निदेश करते हुए कहना है कि उपर्युक्त परिपत्रों में सरकारी सेवकों को निलंबन से मुक्त कर पुन: नियुक्त करने के संबंध में नीति निर्धारित कर विस्तृत अनुदेश दिया गया था । लेकिन विभिन्न विभागों / कार्यालयों से निलंबित राजपत्रित / अराजपत्रित कर्मचारी से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदनों से पता चलता है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन विभिन्न विभागों द्वारा दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है । फलस्वरूप अनेकानेक पदाधिकारी / कर्मचारी काफी लंबे अर्से से निलंबन में है, जिसके फलस्वरूप उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ निलम्बन अवधि के लिये जीवन यापन भत्ता देने के चलते सरकार को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है । इसके साथ ही सरकारी कार्यों के निष्पादन में बाधा भी पड़ती है ।

अत: अनुरोध है कि सरकार द्वारा उपर्युक्त परिपत्रों द्वारा संसूचित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय । साथ ही संलग्न प्रपत्र में हर तिमाही में प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस० एन० विश्वास

आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

[6]

पत्र संख्या VI / स्था (विधि) 59/93-का०-11671

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपायुक्त ।

पटना- 15, दिनांक 1.12.1993.

विषय :- **संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 में किए गए संशोधन के उपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत करने के संबंध में ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 2293 दिनांक 9.2.77 (प्रतिलिपि संलग्न)* द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि संविधान के 42 वें संशोधन के उपरान्त किसी सरकारी सेवक को वृहद् दंड देने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मो० रमजान खान (1991 सुप्रीम कोर्ट केस वॉल्युम-I, पेज-588) में यह व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी सरकारी सेवक को वृहद दंड देने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उस जांच प्रतिवेदन की प्रति जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वृहद दंड देने का प्रस्ताव है, उपलब्ध कराते हुए संबंधित सरकारी सेवक को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने / का अवसर मिल सके । यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय में ही Larger Be©nch द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है, फिर भी जब तक उक्त निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अन्यथा निर्णय नहीं होता, तब तक द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया जाना अनिवार्य है ।

2. उपर्युक्त स्थिति में निदेशानुसार अनुरोध है कि जिन सरकारी सेवकों को वृहद् दंड देने का प्रस्ताव हो, उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत कर एक अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही वृहद् दंड के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाय ।

3. कृपया इस प्रावधान से अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- एस०एन० विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

[*द्रष्टव्य इसी अध्याय का क्रमांक 28]

[7]

पत्र संख्या- 3/ एम 1-1037/ 90 खंड-का० - 7707

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं **प्रशासनिक** सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार चौधरी, सरकार के **सचिव** ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना- 15, दिनांक 17 जुलाई, 1992.

विषय :- **बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली एवं बिहार अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली में संशोधन का स्थगन ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली एवं बिहार अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, जिसके तहत सरकारी सेवकों को निलम्बित करने की शक्ति नियुक्ति पदाधिकारी के अलावे अनुशासनिक पदाधिकारी को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या- 7772 तथा 7773 दिनांक 6.6.91 द्वारा प्रत्याजित की गई है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त नियमावली में जबतक अनुशासनिक पदाधिकारी परिभाषित नहीं होता है, तबतक उपर्युक्त संशोधन अधिसूचना को स्थगित रखा जाय । अनुशासनिक पदाधिकारी की परिभाषा के संबंध में सरकार द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3 /एम 1-1037/90 खंड-का० 7707 पटना, दिनांक 17 जुलाई, 92.

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग तथा निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

[8]

पत्र संख्या- 2 / सी 3-30365/ 87 का० – 7106

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री अरुण पाठक, मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / विभागीय जांच आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना 15, दिनांक 6 जुलाई, 1992

विषय :- **सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों के त्वरित निष्पादन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गबन, भ्रष्टाचार, कदाचार एवं बेईमानी आदि से सम्बद्ध मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक अनुदेश निर्गत किए गए हैं । इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निष्पादन के लिए भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यम के परिपत्र सं० 12727 दिनांक 17 जुलाई 1979 (प्रतिलिपि अनुलग्न) द्वारा भी 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है । इसके बावजूद प्राय: यह देखा जाता है कि संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है । इससे न तो दोषी सरकारी सेवकों को समय पर प्रभावकारी दंड देना सम्भव हो पाता है और न ही निर्दोष सरकारी सेवकों के प्रति समुचित रूप से न्याय प्रदान करने की सरकार की नीति का अनुपालन ही हो पाता है । सरकार इसे गम्भीर स्थिति मानती है ।

2. उल्लेखनीय है कि आयुक्त, मगध प्रमंडल गया को एक विभागीय कार्यवाही की जांच का भार मई, 1991 में सौंपा गया और उन्होंने जुलाई 1991 में ही उक्त विभागीय कार्यवाही का निष्पादन तत्परतापूर्वक कर अपना अपेक्षित जांच प्रतिवेदन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को समर्पित कर दिया । फलस्वरूप प्रासंगिक मामले से संबंधित आरोपित पदाधिकारी को प्रभावकारी ढंग से सजा देना संभव हो सका । प्रासंगिक विभागीय कार्यवाही का निष्पादन जिस तत्परता से प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया ने किया, वह अत्यन्त ही सराहनीय है । अगर सभी संचालन पदाधिकारी, समान रूप से ही, इसी तत्परता के साथ संचालित विभागीय कार्यवाहियों का निष्पादन करें, तो न केवल दोषी सरकारी सेवकों को प्रभावकारी ढंग से सजा दी जा सकती है, बल्कि जो निर्दोष सरकारी सेवक हैं, उन्हें भी सरकार प्रभावकारी ढंग से न्याय प्रदान कर सकती है ।

3. सरकार की मंशा है कि आरोपित सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों का निष्पादन त्वरित गति से, निर्धारित समय-सीमा के अंदर, निश्चित रूप से किया जाय और जांच पदाधिकारी भी अपना आवश्यक जांच प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित कर दें, ताकि दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रभावकारी दंड

दिया जा सके तथा निर्दोष सरकारी सेवकों को समुचित न्याय प्रदान किया जा सके। सरकार की यह भी मंशा है कि संचालित विभागीय कार्यवाहियों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभाग, आरोपित सरकारी सेवक एवं जांच पदाधिकारी समुचित सहयोग करें, ताकि निर्धारित समय-सीमा में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन हो सके। इसके अतिरिक्त यह भी कि जिस पदाधिकारी के कारण विभागीय कार्यवाही में विलम्ब हुआ है या विलम्ब की प्रवृत्ति रखते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाय।

4. अत: अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णयों का दृढ़ता से अनुपालन के उद्देश्य से आवश्यक है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाहियों के त्वरित निष्पादन के संबंध में भूतपूर्व मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या- 12727 दिनांक- 17.7.1979 के द्वारा निर्धारित 90 (नब्बे) दिनों की समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5. इस निदेश से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/- अरुण पाठक
मुख्य सचिव, बिहार।

पत्र संख्या-3/ आर 1-102/ 78 का० – 12727

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यम, सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 17 जुलाई, 1979

विषय :- सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्राय: यह देखा जाता है कि गबन, भ्रष्टाचार, कदाचार एवं बेईमानी आदि से सम्बद्ध मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतएव, ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाहियों में जांच अधिकारियों द्वारा अपनाये जाने के लिए एक सुस्पष्ट प्रणाली निर्धारित करना और जांच के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिये एक समय-सीमा निश्चित कर देना आवश्यक हो गया है। सभी सम्बन्धित लोगों को इस बात की ताकीद दी जाती है कि वे इन समय-सीमाओं का दृढ़ता से पालन करें और आरोपित पदाधिकारी को विलम्ब करने की चाल नहीं चलने दें। साधारणतया, वकील लोग प्रत्येक मामले

में असंगत जिरह और लम्बी बहस, विविध प्रकार के प्रारंभिक आपत्तियों आदि के द्वारा जांच को अधिक दिनों तक चलाते रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतएव इस तरह के विलम्बकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगायी जाय ।

फलस्वरूप जांच प्रारंभ करने का निर्णय लेने की तिथि से जांच के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिये 90 दिनों की निम्नांकित समय-सीमा निर्धारित की जाती है :-

	विभिन्न चरण		समय-सीमा
1.	अनुशासनिक पदाधिकारी द्वारा आरोप की सूची कदाचार और दुराचरण की लांछनाओं का विवरण और ऐसे गवाहों और अभिलेखों की तालिका तैयार करना जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप को प्रमाणित करने का इरादा हो ।		15 दिन
2.	आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित प्रतिवाद देना तथा यह स्पष्ट करना कि वे व्यक्तिगत रूप से अपने को सुना जाना चाहते हैं या नहीं ।		15 दिन
3.	जांच पदाधिकारी, प्रस्तोता पदाधिकारी, आदि की नियुक्ति ।	..	5 दिन
4.	आरोपित पदाधिकारी सेवक की प्रथम हाजिरी और अभिलेखों का निरीक्षण ।	..	10 दिन
5.	अनुशासनिक अधिकारी की ओर से प्रस्तुत गवाही का अंकन ।	..	18 दिन
6.	बचाव का लिखित विवरण और बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही	..	17 दिन
7.	बहस	..	3 दिन
8.	प्रतिवेदन का अंकन	..	7 दिन
		:	कुल 90 दिन

अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को इस परिपत्र से शीघ्र अवगत करा दें ।

विश्वासभाजन,
के० ए० रामसुब्रह्मण्यम
सरकार के मुख्य सचिव

[9]

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय :- सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों के सही पाये जाने के उपरांत उनकी सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय-सीमा का निर्धारण ।

उपरोक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 14933 दिनांक 7.12.84 को संशोधित किए जाने के क्रम में उक्त संकल्प की प्रथम-4 कंडिकाओं को यथावत निम्न प्रकार से रखा गया है :-

1- कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या- 4512 दिनांक 12 मार्च, 1979 में इस बात का प्रावधान है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त आरोप यदि प्रथम द्रष्टया सही पाये जाते हैं तो संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति, सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध एवं पेंशन के मामलों पर विचार रुका रहेगा ।

2- कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1981 में संकल्प सं०- 7225 दिनांक 6 जून 1981 जारी कर एक बार फिर स्पष्ट किया गया कि सेवा संपुष्टि / दक्षतारोध के मामलों में किन आरोपों को कब प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायगा ।

3- कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-18326 दिनांक 27 सितम्बर, 1978 द्वारा यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाने के बाद उक्त आरोपों को उस पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायगा और आरोप के अंतिम निष्पादन तक आरोपित्र पदाधिकारी के दक्षतारोध, सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति, एवं पेंशन के मामले अवरुद्ध रहेंगे ।

4- उक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि जहां आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित नहीं है, वहां सरकारी सेवकों की सेवा सम्पुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि मामलों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ।

X X X X X

उक्त संकल्प की 5वीं कंडिका निम्नवत थी :-

"वर्णित स्थिति पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार कर अब यह निर्णय लिया है कि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के अंतिम निष्पादनार्थ तीन वर्ष आठ महीने की समय-सीमा निर्धारित की जाय । इन तीन वर्ष आठ महीने की समय-सीमा की गणना उन आठ महीनों की अवधि के साथ की जाय जिसका उल्लेख कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-4512, दिनांक 12 मार्च, 1979 की कंडिका-3 में है । अत: यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्राप्त हो और उसका निष्पादन तीन वर्ष आठ महीने की अवधि में न हो सके, तो संबंधित पदाधिकारी को तदर्थ रूप से सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन आदि का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि भविष्य में आरोपों के अंतिम रूप से निष्पादन होने के फलस्वरूप संबंधित सरकारी सेवक को कोई दंड दिये

जाने पर तदनुसार उनकी सेवा संपुष्टि, प्रोन्नति, दक्षतारोध, पेंशन आदि के संबंध में पूर्व में दिये गये उक्त तदर्थ आदेश को रूपांतरित किया जायगा।

परन्तु उपर्युक्त समय-सीमा के अंतर्गत ऐसे मामले नहीं आएंगे जहां सरकारी सेवकों के विरुद्ध असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, बिहार एवं उड़ीसा सबोर्डिनेट सर्विसेज (डिसीप्लीन एवं अपील) नियमावली अथवा बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही का गठन किया जा चुका है या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा लंबित है ।"

5- उपर्युक्त कंडिका को अब निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

5(क) सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित माने जाने से संबंधित आदेश की तिथि से दो वर्ष के अंदर यदि आरोप का अंतिम निष्पादन नहीं हो पाता है, तो दो वर्ष के बाद संबंधित सरकारी सेवक को तदर्थ रूप से सेवा सम्पुष्टि, दक्षतारोध पार करना, प्रोन्नति, पेंशन आदि का लाभ इस शर्त के साथ दिया जायगा कि भविष्य में आरोपों के अंतिम रूप से निष्पादन होने के फलस्वरूप संबंधित सरकारी सेवक को कोई दंड दिये जाने पर तदनुसार उनकी सम्पुष्टि आदि के संबंध में पूर्व में दिये गये उक्त तदर्थ आदेश को रूपांतरित किया जायगा । एतत् संबंधी एक अन्डरटेकिंग भी सरकारी सेवक से प्रोन्नति देने के पूर्व लिया जायगा ।

(ख) जिस मामले में विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश हुआ हो, वैसे मामलों में विभागीय कार्यवाही चलाने से संबंधित आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में विभागीय कार्यवाही का अंतिम निष्पादन न होने पर ऊपर कंडिका (क) में उल्लिखित शर्त्त के अनुसार कार्रवाई की जायगी ।

(ग) परन्तु यदि आरोपित सरकारी सेवक की उदासीनता अथवा लापरवाही के कारण निष्पादन की अवधि दो वर्ष से अधिक लग जाती है, तो यह सुविधा संबंधित सरकारी सेवक को प्राप्त नहीं होगी ।

(घ) जिन मामलों में फौजदारी मुकदमा दायर किया गया हो उसमें वर्तमान (इस संकल्प के निर्गत होने से पूर्व की) व्यवस्था लागू रहेगी ।

X X X X X

इसके अतिरिक्त उक्त संकल्प में निम्नांकित 4 नई कंडिकाएँ शामिल की गई हैं :–

6- विभागीय कार्यवाही शुरू होने के पश्चात विभागों द्वारा जांच के क्रम में की जानेवाली सभी कार्यवाहियों में आवश्यक तत्परता साधारणत: नहीं दिखाई जाती है और जांच पदाधिकारी के समक्ष सरकारी पक्ष को बहुत कनीय स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आरोपित सरकारी सेवक अपनी ओर से काफी तत्परता दिखाते हैं । इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

7- विभागीय जांच के लिये जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनमें यह भावना होती है कि उन्हें किसी महत्वहीन पद पर नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति का मतलब यह है कि सरकार ने उनकी एक दंड के रूप में नियुक्ति की है, जबकि यह समझना आधारहीन है ।

अत: विभागीय जांच आयुक्त के पद पर सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहेंगे ।

8- जहां तक राज्य सरकार की ओर से विभागीय जांच आयुक्त के समक्ष केस प्रस्तुत करने का प्रश्न है, उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जिस पदाधिकारी की नियुक्ति प्रस्तुतीकरण के लिये की जाती है, उसका पद-स्तर उप सचिव के नीचे का न रहे ।

9- उपर्युक्त कंडिका-5 में उल्लिखित समय-सीमा सभी मामलों में लागू होगी, चाहे संबंधित मामला प्रशासी विभाग में लंबित हो या निगरानी विभाग में या लोकायुक्त के यहां लंबित हो ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत जनसाधारण के लिये प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 3/ आर 1- 308/84-का० – 9146 पटना, दिनांक 12 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि सभी विभाग (निगरानी विभाग सहित) / सभी विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त, बिहार, पटना / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु अग्रसारित ।

प्रतिलिपि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों / निबंधक / प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ ।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/आर 1-308/84-का० – 9146 पटना-15, दिनांक 12 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित । अनुरोध है कि इसकी एक हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को शीघ्र आपूर्ति की जाय ।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सं० 14933-का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 1985

विषय :- **सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया आरोपों के सही पाये जाने के उपरांत उनकी सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि के अवरुद्ध रहने की समय -सीमा का निर्धारण ।**

कार्मिक विभाग के संकल्प सं० 4512, दिनांक 12 मार्च, 1979 (प्रतिलिपि संलग्न) में इस बात का प्रावधान है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त आरोप यदि प्रथम द्रष्टया सही पाये जाते हैं तो संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति, सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध एवं पेंशन के मामले पर विचार रुका रहेगा ।

2. कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 1981 में संकल्प संख्या 7225 दिनांक 6 जून 1981 (प्रतिलिपि संलग्न) जारी कर एक बार फिर से स्पष्ट किया गया कि सेवा-संपुष्टि / दक्षतारोध के मामलों में किन आरोपों को कब प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायगा।

3. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 18326, दिनांक 27 सितम्बर 1978 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाने के बाद उक्त आरोपों को उस पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायगा और आरोप के अन्तिम निष्पादन तक आरोपित पदाधिकारी के दक्षतारोध, सेवा-संपुष्टि, प्रोन्नति एवं पेंशन के मामले अवरुद्ध रहेंगे।

4. उक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि जहां आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित नहीं है, वहां सरकारी सेवकों की सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि मामलों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु जहां आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित है, वैसे मामलों में कितनी अवधि तक संबंधित सरकारी सेवक की सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन इत्यादि का मामला अवरुद्ध रहेगा, इस बिन्दु पर अभी तक कोई स्पष्ट सरकारी अनुदेश निर्गत नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों की सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति एवं पेंशन के मामले लंबित हैं ।

5. वर्णित स्थिति पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार कर अब यह निर्णय लिया है कि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के अंतिम निष्पादनार्थ तीन वर्ष आठ महीने की समय-सीमा निर्धारित की जाय । इन तीन वर्ष आठ महीने की समय-सीमा की गणना उन आठ महीनों की अवधि के साथ की जाये जिसका उल्लेख कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 4512, दिनांक 12 मार्च, 1979 की कंडिका 3 में है । अत: यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्राप्त हो और उसका निष्पादन तीन वर्ष आठ महीने की अवधि में न हो तो संबंधित पदाधिकारी को तदर्थ रूप से सेवा संपुष्टि, दक्षतारोध, प्रोन्नति, पेंशन आदि का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाय कि भविष्य में आरोपों के अंतिम रूप से निष्पादन होने के फलस्वरूप संबंधित सरकारी सेवक को कोई दंड दिये जाने पर तदनुसार उनकी सेवा संपुष्टि, प्रोन्नति, दक्षतारोध, पेंशन आदि के संबंध में पूर्व में दिये गये उक्त तदर्थ आदेश को रूपांतरित किया जायगा ।

उपर्युक्त समय-सीमा सभी मामलों में लागू होगी चाहे संबंधित मामला प्रशासी विभाग में लंबित हो या निगरानी विभाग में या लोकायुक्त के यहां लंबित हो ।

परन्तु उपर्युक्त समय-सीमा के अंतर्गत ऐसे मामले नहीं आयेंगे जहां सरकारी सेवकों के विरुद्ध

असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, बिहार एवं उड़ीसा सबोर्डिनेट सर्विसेज (डिसीप्लीन एवं अपील) नियमावली अथवा बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही का गठन किया जा चुका है या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा लंबित है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत जनसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
एन० के० अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या 14933-का० पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 1985।

प्रतिलिपि सभी विभाग (निगरानी विभाग सहित) / सभी विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त, बिहार पटना / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु अग्रसारित।

सरयू प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव।

सं० 12 / ई 3-20308/ 77- 4512-का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 12 मार्च, 1979

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 6565, दिनांक 1 मई, 1973 के अनुसार पदाधिकारियों की दक्षता रोक, संपुष्टि अथवा प्रोन्नति के मामले उनके विरुद्ध "प्रथम द्रष्टया प्रमाणित" आरोप के चलते अवरुद्ध रहते हैं। इस प्रकार "प्रथम द्रष्टया प्रमाणित" आरोप के कारण सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन, उपादान आदि का भी भुगतान लंबित रहता है। इसलिए गहराई में जाकर विषय की छानबीन करने के लिए मंत्रि-परिषद ने दिनांक 12 अक्टूबर, 1977 की अपनी बैठक में एक उप-समिति गठित की जिसके सदस्य निम्नांकित मंत्री बनाये गये :-

(1) मंत्री, सहकारिता। (3) मंत्री उद्योग।

(2) मंत्री, परिवहन। (4) मंत्री, कारा तथा उत्पाद।

2. छानबीन के दौरान पाया गया कि साधारणत: पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्न प्रकार के आरोप पत्र प्राप्त होते हैं -

(क) घूसखोरी,

(ख) सत्यनिष्ठा के विरुद्ध आरोप,

(ग) गबन एवं दुर्विनियोग,

(घ) नैतिक नीचता,

(च) आदेशोल्लंघन,

(छ) समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा के प्रति उदासीनता,

(ज) सरकारी आदेशों के विरुद्ध आचरण,

(झ) सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन,

(ट) सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग,

(ठ) सरकारी बकाये / ऋणों / अग्रिमों का किस्तवार भुगतान

(ड) सहकर्मियों अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना,

(ढ) सरकारी आवास के किराये आदि का भुगतान नहीं करना ।

3. उपर्युक्त आरोपों से संबंधित आरोप-पत्र / प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आरोपित पदाधिकारी को अपनी बात कहने का उचित अर्थात दो महीने तक की अवधि का मौका देने के बाद और उनकी बात पर गौर करने के बाद अगर नियंत्रण पदाधिकारी या आरोप के बिन्दु से संबंधित सक्षम पदाधिकारी या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोप में तथ्य है, तभी उस आरोप को "प्रथम द्रष्टया प्रमाणित" आरोप माना जायेगा । आरोपों के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नियंत्रण पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी / सरकार को अधिक-से-अधिक छः महीने का समय दिया जायेगा । किन्तु -

(क) वैसे आरोप जिनपर निगरानी विभाग जांचोपरांत एवं संबंधित पदाधिकारी की बातें सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि -

(i) विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु यथेष्ट सामग्रियां उपलब्ध हैं, या

(ii) आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी पर फौजदारी मुकदमा दायर करने हेतु यथेष्ट सामग्रियां हैं, तथा

(ख) वैसे आरोप जिनके संबंध में लोकायुक्त, बिहार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1) (क) के अंतर्गत आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध नोटिस जारी की गयी है,

नियंत्रक पदाधिकारी या आरोप के बिन्दु से संबंधित सक्षम पदाधिकारी या सरकार के लिए उपर्युक्त उप-कंडिका (क) एवं (ख) में उल्लिखित मामलों को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप मानने हेतु आरोपित पदाधिकारी को समय देना आवश्यक नहीं होगा ।

4. प्रोन्नति, दक्षतारोध, संपुष्टि और सेवा निवृति के बाद के लाभ समान स्तर के विषय नहीं हैं । अतः प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों का प्रभाव भी इनपर अलग-अलग ढंग से पड़ना चाहिये । एतदर्थ उपर्युक्त कंडिका 2 में उल्लिखित आरोपों को निम्न कोटि में रखा जा सकता है :-

(क) सत्यनिष्ठा संबंधी आरोप,

(ख) गबन एवं दुर्विनियोग संबंधी आरोप,

(ग) नैतिक नीचता संबंधी आरोप,

(घ) आदेशोल्लंघन, एवं

(च) औफिशियल डेलीक्वेंसी संबंधी आरोप ।

5. (क) प्रोन्नति एवं सेवा में प्रथम संपुष्टि के मामले में उपर्युक्त कंडिका 4 में उल्लिखित सभी प्रकार के "प्रथम द्रष्टया प्रमाणित" आरोप का कुप्रभाव पड़ेगा ।

(ख) दक्षतारोध एवं प्रथम संपुष्टि के बाद विभिन्न वेतनमान संपुष्टि में भी उपर्युक्त सभी प्रकार के "प्रथम द्रष्टया प्रमाणित" आरोप का कुप्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियल डेलीक्वेंसी संबंधी आरोप यदि मामूली प्रकृति के हों तो उनका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) सेवा निवृति लाभ संबंधी मामलों में कंडिका 4 के (क), (ख) एवं (ग) पर उल्लिखित "प्रथम द्रष्टया प्रमाणित" आरोपों का ही कुप्रभाव पड़ेगा, अन्य का नहीं ।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या 9793, दिनांक 16 मई, 1978 एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित करायी जाय । इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप सं० 12/ ई 3-20308 / 77- 4512- का० पटना, दिनांक 12 मार्च, 1979 ।

प्रतिलिपि सभी विभाग (निगरानी विभाग सहित) / सभी विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त, बिहार, पटना / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु अग्रसारित ।

रणेन्द्र नीलाभ मिश्र,
सरकार के उप-सचिव ।

पत्र सं० 7225-का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

6 जून, 1981

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2 / सी 3-8-16 / 72 - 6565-का०, दिनांक 1 मई, 1973 एवं संकल्प संख्या 12 / ई 3-20308 / 77-का०- 4512, दिनांक 12 मार्च, 1979 में पदाधिकारियों की संपुष्टि, दक्षतारोध पार करने तथा प्रोन्नति के मामले के निष्पादनार्थ उनके विरुद्ध चल रहे आरोपों का एवं उनके कार्यों पर अंकित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का क्या एवं किस रूप में प्रभाव पड़ेगा का उल्लेख किया गया है ।

2. सरकार के सामने कुछ ऐसे दृष्टान्त आये हैं, जिनसे पता चलता है कि सभी मामलों में एकरूपता नहीं बरती जा रही है । अतएव इन सभी बिन्दुओं पर भलीभांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया

है कि संपुष्टि / दक्षतारोध की देय तिथि के पूर्व के उन्हीं आरोपों पर विचार किया जाय जो प्रथम द्रष्टया प्रमाणित हों । देय तिथि के बाद के आरोपों का कुप्रभाव संपुष्टि / दक्षतारोध पर नहीं पड़ेगा । प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप तभी समझा जायेगा जब पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप के चलते दंडित करने के लिए कार्रवाई का आदेश प्राप्त हो चुका है या जो तथ्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है । लेकिन अगर पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टचार या नैतिक नीचता (moral turpitude) के कारण फौजदारी मुकदमा चल रहा हो तो उनकी संपुष्टि / दक्षतारोध के मामले को तबतक स्थगित रखा जा सकता है जबतक मुकदमा का निष्पादन नहीं हो जाता है ।

3. देय तिथि के पूर्व के तीन वर्षों की गोपनीय अभ्युक्तियां पर सामान्यत: विचार किया जायेगा । परन्तु यदि किसी वर्ष की अभ्युक्ति प्राप्त नहीं है या आंशिक रूप से प्रतिकूल है तो पदाधिकारी के वर्तमान नियंत्रक पदाधिकारी से उनके कार्य एवं आचरण के आधार पर अनुशंसा प्राप्त कर उनकी संपुष्टि / दक्षतारोध पार करने के संबंध में विचार किया जा सकता है ।

आदेश :- आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित करायी जाय और सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलायुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र सं० 18326-का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यम, सरकार के मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न) ।

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1978 ।

विषय :- लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अंतर्गत लोकायुक्त द्वारा सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी कर देने पर आरोप को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित माना जाना ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोकायुक्त, बिहार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाने के बाद उन आरोपों को उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायेगा । अत: इन आरोपों के अंतिम निष्पादन होने तक आरोपित पदाधिकारी के दक्षतारोध, संपुष्टि एवं प्रोन्नति के मामले अवरुद्ध रहेंगे ।

अतः अनुरोध है कि आप कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि इस अनुदेश का आपके अधीनस्थ विभागों में कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,
के०ए० रामासुब्रह्मण्यम,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप सं० 18326 पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1978 ।

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

के०ए० रामासुब्रह्मण्यम,
सरकार के मुख्य सचिव ।

---

[10]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक जून, 1991

संख्या- जी० एस० आर० संख्या----/ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1935 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं ।

संशोधन

उक्त नियमावली में नियम 3 "क" के उप नियम (1) में शब्द, "नियुक्ति-प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ हो अथवा राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सरकारी सेवक को निलम्बित कर सकेगा" के स्थान पर निम्नांकित शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा :-

"नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी, जिसके वह अधीनस्थ हो, अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्यपाल द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एतदर्थ शक्ति दी गई हो, सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा ।

परन्तु जहां निलम्बन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, वहां ऐसा प्राधिकारी, जिन परिस्थितियों में आदेश दिया गया हो, उसकी रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को तुरत देगा ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3 / एम 1-1037 / 90 का० - 7773 पटना, दिनांक 6 जून, 1991

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ तथा एक हजार प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित ।

ह०/- हर्ष वर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या- 3/एम 1 -1037 /90 का० - 7773 पटना, दिनांक 6 जून, 1991

प्रतिलिपि - सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / महालेखाकार, बिहार पटना / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/- हर्षवर्धन
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[11]

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.

****

NOTIFICATION

Patna-15, Dated the 6th June, 1991.

G.S.R. No.... In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rues :-

AMENDMENT

In the said Rules in sub rule (i) of rule-49A for the words "the appointing authority or any authority to which it is subordinate or the Governor by general or special order may place a Government servant under suspension" the following words shall be substituted, namely :-

"The appointing authority or any authority to which it is sub-ordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the, Governor general or special order, may place a Government servant under suspension :

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than

the appointing authority such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances under which the order was made."

(3/M1-1037/90)

By order of the Governor of Bihar.

Sd/- A.K. Chaudhary

Secretary to Government.

Memo No. **7772** Patna-15, Dated the 6 June, 1991.

Copy forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for publication in the extraordinary issue of the Bihar Gazette and for sending 1000 copies to the Department.

Sd/- Harshvardhan

Joint Secretary to Government.

Memo No. 7772 Patna-15, Dated the 6 June, 1991.

Copy forwarded to All Departments / All Heads of Department / All Divisional Commissioners / All Distt. Magistrates / Secretary, B.P.S.C., Patna / A.G. Bihar, Patna/ Registrar, High Court of Judicature, Patna/ All Officers and S. Os. of the Department of Personnel & A.R. for information.

Sd/- Harshvardhan

Joint Secretary to Government.

---

[12]

बिहार गजट असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1912 (श०)

(सं०पटना 352) पटना, शनिवार 4 अगस्त 1990

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

5 अगस्त 1990

जी० एस० आर० 11- भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या III /आर 1-101/63-8050 -ए दिनांक 3 जुलाई, 1963 के साथ प्रकाशित बिहार ऐण्ड उड़ीसा अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त नियमावली के नियम 3ए (1) (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा :-

"(ग) विवाह के सात साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु जलने से अथवा शारीरिक चोट से अथवा असाधारण परिस्थितियों में हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के तत्काल पहले उसके पति अथवा उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज संबंधी किसी मांग के लिये अथवा दहेज के संबंध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो अथवा परेशान किया गया हो तो ऐसी मृत्यु को "दहेज संबंधी मृत्यु" कहा जायेगा और यह समझा जाएगा कि वह मृत्यु उसके पति अथवा रिश्तेदार के कारण हुई है, और यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भा०दं०सं०, 1860 (अधिनियम 45, 1860) की धारा 304-ख के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया हो तो यह माना जायेगा कि अपराध करने के कारण उसके विरुद्ध प्रथम द्रष्टया मामला बनता है। दं० प्र० सं० 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 173 की उप-धारा (2) के अधीन थाना प्रभारी द्वारा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर यदि उक्त रिपोर्ट से प्रथम द्रष्टया यह निर्दिष्ट होता हो कि अपराध सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जायेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव।

---

5 अगस्त 1990

जी० एस० आर० 12-भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या III / आर 1-101/63-8051-ए, दिनांक 3 जुलाई 1963 के साथ प्रकाशित असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त नियमावली के नियम 49 ए(1)(बी) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा :-

"(ग) विवाह के सात साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु जलने से अथवा शारीरिक चोट से अथवा असाधारण परिस्थितियों में हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के तत्काल पहले उसके पति अथवा उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज संबंधी किसी मांग

के लिये अथवा दहेज के संबंध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो अथवा परेशान किया गया हो तो ऐसी मृत्यु को "दहेज संबंधी मृत्यु" कहा जायेगा और यह समझा जायेगा कि वह मृत्यु उसके पति अथवा रिश्तेदार के कारण हुई है और यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध भा०दं०सं०, 1860 (अधिनियम 45, 1860) की धारा 304 ख के अंतर्गत पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया हो तो, यह माना जायेगा कि अपराध करने के कारण उसके विरुद्ध प्रथम द्रष्टया मामला बनता है । दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 173 की उप-धारा (2) के अधीन थाना प्रभारी द्वारा मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर यदि उक्त रिपोर्ट से प्रथम द्रष्टया यह निर्दिष्ट होता हो कि अपराध सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जायेगा ।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

---

[13]

पत्र संख्या-का० – 13830

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्रीमती लक्ष्मी सिंह, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव / सभी विभागों के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलों के आयुक्त / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 14 दिसम्बर, 1989.

विषय :- सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में अनुदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-का० 16514 दिनांक 5.12.80 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उपर्युक्त पत्र में इसका उल्लेख है कि जहां परिवाद-पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा, वहां परिवादी को तुरन्त बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाए गए आरोपों के संबंध में क्या कहना है तथा अपने परिवाद के संबंध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध करने में सक्षम होंगे । इसके बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार / विभागाध्यक्ष / नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय । इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय अथवा नहीं, यह आरोपों की प्रकृति पर निर्भर करेगा ।

2. विगत दिनों में राज्य सरकार का यह अनुभव रहा है कि उपर्युक्त प्रकार से कार्रवाई करने के उपरान्त भी सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तरदायी सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राय: दुर्भावना, प्रतिशोध और उन्हें हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किये गये परिवाद पत्र जांचोपरान्त बेबुनियाद एवं निराधार पाए जाते रहे हैं ।

3. अत: राज्य सरकार ने सारे पहलुओं पर विचारोपरान्त इस प्रकार की कार्रवाई को चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उनके नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) में परिवाद पत्र प्राप्त होने पर परिवादी से लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ-साथ उनसे शपथ-पत्र लिया जाय कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं ।

4. आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीन सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत कराने तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/- लक्ष्मी सिंह
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या- का० 16514
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रसाद नैय्यर, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव / सभी विभाग के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलों के आयुक्त / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 5.12.80 ।

विषय :- बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद-पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान मंत्रिमंडल "निगरानी" के पत्र संख्या 2600 दिनांक 9 जुलाई, 1978 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद-पत्र, चाहे वे प्रत्यक्षत: कितने भी विशिष्ट प्रतीत होते हों, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाय ।

2. जहां सरकार कृत संकल्प है कि कार्यान्वयन के क्षेत्र में सरकार की नीतियां सही रूप से प्रतिबिंबित हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी ठहराये जायँ, सरकार चिन्तित है कि प्राय: दुभार्वना, प्रतिशोध और पदाधिकारियों को हतोत्साह करने के उद्देश्य से प्रेरित अनाम, बेनामी और छद्मनामी परिवादों की प्रवृत्ति पर भी रोक लगायी जाय ।

3. सभी बिन्दुओं पर विचार कर सरकार ने पुनः निर्णय लिया है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायगी। पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुलापत्र और पैम्पलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जायगी।

4. जहां परिवाद पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा, वहां भी परिवादी को तुरंत बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाये गये आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है और परिवाद के संबंध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार / विभागाध्यक्ष / नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय अथवा नहीं यह आरोपों की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

5. आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीन सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत करायें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह०/- प्रेम प्रसाद नैय्यर
सरकार के मुख्य सचिव।

CONFIDENTIAL

No. 321/4/91-AVD. III
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Deptt. of Personnel & Training)

New Delhi, the 29 Sept., 1992.

OFFICE MEMORANDUM

SUB : Dealing with anonymous and pseudonymous complaints.

The undersigned is directed to say, that the existing instructions of the Government of India regarding taking cognizance of anonymous and pseudonymous complaints are contained in the following communications :-

(1) Ministry of Home Affairs O.M.No. 151/1/65-AVD. dated 19.2.65.

(2) Ministry of Home Affaris O.M.No. 356/13/65-AVD.III dated 9.6.1965.

(3) Ministry of Home Affairs O.M. No. 356/13/65-AVD. III dated 22.7.65.

(4) CVC's letter No. 4/8/70-R, dated 12.7.1976.

2. The policy and procedure laid down in the above listed communications have been reviewed by the Government of India in consultation with the Central Vigilance Commission. In supersession of all the above cited instructions, the following revised procedure is laid down for handling anonymous and pseudonymous complaints in Ministries and Departments of the Central Government and the Public Sector Underkatings and other organisations under its purview :-

(a) Many anonymous / pseudonymous complaints are false and malicious and very often, such complaints are not a reliable source of information and enquiries into such complaints do have an adverse effect on the morale of the services. The Government of India are therefore, of the view, that generally, no action is warranted on anonymous / pseudonymous complaints against Government Servants and they are to be filed.

(b) While as a policy, anonymous / pseudonymous complaints should be ignored and only filed, it should not be forgotten that such complaints do constitute an important source of information especially in respect of influential officials, against whom complainants may be afraid to make open allegations. In that background, the option to enquire into such complaints which contain verifiable details, should not be closed to the Head of the Department / Chief Executives. Thus, before taking such a selective cognizance of anonymous / pseudonymous complaints, the Chief Vigilance Officer of the Department or organisation concerned should obtain specific orders from the Head of the Department / Chief Executive. Wherever the Head of the Department / Chief Executive, on a prime facie examination of such complaints, takes a decision to pursue further action in this regard as to the verifcation of facts, a copy of all such complaints petitions, as far as possible, shall first be made available to the officer concerned for his comments and only thereafter, further action should be taken. Precaution may, however, be taken to take into custody all the relevant documents to avoid any chance of their being tampered with. Where such an enquiry is undertaken by the

administrative authority the result of the enquiry should be intimated to the CVC in accordance with existing instructions, for its advice about the further course of the action to be taken.

3. It is requested that the above instructions may be brought to the notice of all concerned.

Hindi version will follow.

Sd/- SMT. KRISHNA SINGH
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To

1. All Secretaries to the Government of India (By Name)
2. Central Vigilance Commission (Sh. M.K. Dixit, Secretary).
3. All the Desks / Sections of the DOP & T
4. Copy also to the Guard file.

---

[14]

संख्या-2 / सी 3-30330 / 87 का०- 4731

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एम०एल० मजुमदार/ सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना- 15, दिनांक 5 अप्रील, 1989

विषय :- निलंबन-विभागीय कार्यवाही प्रक्रिया का सरलीकरण ।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि जिला पदाधिकारी के स्तर से या प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों से संबंधित निलंबन, विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे प्रस्तावों के साथ अधिकांश मामले में आरोप-पत्र एवं साक्ष्य तालिका उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिसके चलते अगर अति विशिष्ट मामलों में सरकार ऐसे पदाधिकारी को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने की प्रक्रिया आरंभ करती है तो आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका का अभाव परिलक्षित होने लगता है और इस परिस्थिति में पदाधिकारी को लम्बे अर्से तक निलंबन में रहना पड़ता है, जो अनुचित है ।

2- उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विलंब को टालने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में जिला पदाधिकारी / प्रमंडलीय आयुक्त अगर बिहार प्रशासनिक सेवा के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध निलंबन या विभागीय कार्यवाही चलाने का प्रस्ताव भेजें तो वे उस प्रस्ताव के साथ आरोप-पत्र एवं साक्ष्य तालिका गठित कर, पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी दोहरी प्रति भी अवश्य भेजें, अन्यथा ऐसे मामलों में तब तक पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी जब तक उल्लिखित कागजात प्राप्त न हो जाए और इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने पर सरकार गंभीरता से विचारेगी ।

3- समय की बचत, दोषी पदाधिकारी को सजा दिये जाने और जो दोषी नहीं पाए जाएं, उन्हें ऐसे दोषपूर्ण धब्बे से विमुक्त करने के लिए सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जहां ऐसी आवश्यकता समझी जाए कि निलंबन की अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पर या लिखित बयान पर मंतव्य मांगने की अनिवार्यता हो तभी मंतव्य मांगा जायेगा, अन्यथा नहीं ।

4- प्राय: यह भी देखा जाता है कि जब विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तब मूल कागजात उपलब्ध नहीं रहते और सरकार जब उस की माँग करती है तो बहुत-से कागजात खो जाते हैं । इस संभावना से बचने के लिए आवश्यक है कि ज्यों ही किसी मामले में विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय हो जाए, सभी कागजात जिला कार्यालय में अवश्य एकत्रित कर सुरक्षित रखे जाएं और आवश्यकता पड़ने पर आरोपित पदाधिकारी एक साथ एक स्थान पर उसे देख सकें या विभागीय जांच आयुक्त द्वारा आवश्यकता बताई जाने पर उन्हें सहूलियत के साथ मंगा लिया जा सके ।

5- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 9160 दिनांक 21.7.86 (प्रति संलग्न) की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए यह भी अनुरोध करना है कि निलंबन संबंधी मामलों का निष्पादन सरकारी नीति के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनिश्चित कराया जाए और अगर ऐसे मामले में समय-सीमा के अंदर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसके चलते पदाधिकारी को सरकार द्वारा निलंबन से मुक्त नहीं किया जा सका तो वैसे दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी । सरकार अपेक्षा रखती है कि ऐसे मामले में क्षेत्रीय स्तर पर ही कार्रवाई अतिशीघ्रता एवं मुस्तैदी से की जाए ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम. एल. मजुमदार
सरकार के सचिव ।

[15]

पत्र संख्या 2 / आर-3-3304 / 86-का०- 9160

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एन० के० अग्रवाल, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव /सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 1986

विषय :- निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को निलम्बन से मुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 8537, दिनांक 6 जुलाई, 1981 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन अभी तक दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है और अनेक मामलों में उक्त परिपत्र में निहित मार्गदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है ।

2. दिनांक 2 मई 1986 को मंत्रिमंडल की बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि ऐसे मामले जिनमें कोई फौजदारी मुकदमा बगैरह नहीं चल रहा हो उनमें भी 5-5, 6-6 वर्षों से पदाधिकारी निलंबन में हैं । मंत्रिमंडल की उक्त बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि जिन पदाधिकारियों पर फौजदारी मुकदमा नहीं है और यदि वे दो वर्षों से अधिक अवधि से निलम्बित हैं तो संबंधित विभाग उन मामलों की समीक्षा कर किसी भी पदाधिकारी को निलम्बन से मुक्त करने के लिय सक्षम हैं । मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करे कि इसका अनुपालन हो ।

3. मंत्रिमंडल के उपर्युक्त निर्णय के संदर्भ में कार्मिक विभाग के उपर्युक्त परिपत्र संख्या 8537, दिनांक 6 जुलाई, 1981 की कंडिका 2 के "क" से "ङ" की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि उक्त कंडिका में निहित अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय । विभाग के सचिव कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी मामले, जहां सरकारी सेवक के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा के अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही भी चलायी जा रही है और सरकारी सेवक के निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी है, की समीक्षा प्रत्येक 3 माह में की जाय और अगर फौजदारी मुकदमा में विलम्ब होने की संभावना हो और सरकारी सेवक के निलम्बन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी हो तो विभागीय कार्यवाही पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के राजपत्रित पदाधिकारी को निलंबन से मुक्त करने के संबंध में मामले के गुण-दोष को जांच कर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त करें ।

4. आपके सुलभ निर्देश के लिये कार्मिक विभाग के उपर्युक्त परिपत्र संख्या 8537, दिनांक 8 जुलाई 1981 की कंडिका 2 का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है :-

"(क) जैसे ही किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है और ऐसे सरकारी सेवक निलंबन में नहीं हो तो अनुशासनिक प्राधिकार को उन्हें निलंबित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये, खासकर ऐसे मामले में जिनमें गठित आरोप भ्रष्टाचार, कदाचार, सरकारी निधि का गबन और नैतिक नीचता से संबंधित हो और जिनके प्रमाणित होने पर उन्हें जेल की सजा दी जा सकती है ।

(ख) ऐसे निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को जिनकी निलम्बन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी है तथा जिनके विरुद्ध किसी फौजदारी मुकदमा में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है, उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया जाय ।

(ग) ऐसे मामलों में भी जहां सरकारी सेवक के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा के अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही भी चलायी जा रही है और सरकारी सेवक की निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक की हो गयी है, यह आवश्यक है कि विभाग के सचिव द्वारा मामले की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में की जाय । उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी वकील के माध्यम से फौजदारी मुकदमा के त्वरित निष्पादन के लिये आवश्यक कार्रवाई करें । अगर उनके विचार में फौजदारी मुकदमा में बहुत अधिक विलंब होने की संभावना है और सरकारी सेवक के निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी है तो विभागीय कार्यवाही पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के राजपत्रित पदाधिकारी के निलंबन से मुक्त करने के संबंध में मामले के गुण-दोष की जांच कर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त करें ।

(ख) अगर केवल विभागीय कार्यवाही की गयी है और मामले में कोर्ट में संज्ञान नहीं लिया गया है तो दो वर्ष के बाद निलंबित पदाधिकारी को निलंबन से मुक्त किया जाय और अगर केवल विभागीय कार्यवाही की गयी है और यह दो वर्ष तक पूरा नहीं किया गया हो तो ऐसे पदाधिकारी को दो वर्ष के बाद निलंबन से मुक्त कर दिया जाय । विभागीय कार्यवाही दो वर्ष में अवश्य पूरी हो । जिस पदाधिकारी के कारण विभागीय कार्यवाही में विलंब हुआ है उस पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाय ।

अराजपत्रित कर्मचारी के मामले में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय ।

(ङ) राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारियों को पुनः नियुक्त करने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी हरेक मामले की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में करें और यदि ऐसा कोई मामला हो जिसमें संबंधित पदाधिकारी को पुनः निलंबित करना आवश्यक समझा जाय तो पुनः मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर उन्हें निलम्बित किया जाय ।"

5. सभी विभागीय सचिव / विभागाध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारियों से पुनः यह अनुरोध है कि निलंबन संबंधी मामलों में कार्मिक विभाग के उपर्युक्त परिपत्र के आलोक में विशेष ध्यान देकर उनके निष्पादन की कार्रवाई की जाय । साथ ही उनसे यह भी अनुरोध है कि कृपया 30 जून, 1986 को अंत हुई तिमाही की समीक्षा का प्रतिवेदन निम्नांकित प्रपत्र में 15 अगस्त, 1986 तक निश्चित रूप से भेजने की कृपा करें ।

प्रपत्र

क्रम. सं.	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम ।	निलंबन का आदेश सं० एवं तिथि ।	आरोप का संक्षिप्त विवरण जैसे कदाचार / भ्रष्टाचार / सरकारी निधि का गबन / नैतिक नीचता आदि ।	निलम्बन से मुक्त करने / मुक्त नहीं करने का कारण	अन्य अभ्युक्ति यदि कोई हो ।
1	2	3	4	5	6

6. कृपया पत्र प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,
एन० के० अग्रवाल,
सरकार के सचिव

पत्र संख्या 2 / सी 3-108 / 80 का०-8537

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री पी० पी० नैय्यर,

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 6 जुलाई, 1981

विषय :- निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को निलंबन से मुक्त करने के संबंध में ।

महोदय,

सरकारी सेवकों को निलंबित करने से संबंधित आधारभूत सिद्धांत भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री एल० पी० सिंह के पत्र संख्या 188 दिनांक 9 जनवरी, 1953 एवं श्री एम० एस० राव के ज्ञाप संख्या 4698, दिनांक 4 अप्रैल, 1960 में सन्निहित है । ऐसा पाया गया है कि इन अनुदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है और बहुत से मामलों में इन सिद्धांतों को नजर अंदाज कर दिया जाता है । श्री के० ए० रामासुब्रहण्यम के पत्र संख्या 13046, दिनांक 7 जुलाई, 1978 में यह अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक विभाग अपनी स्थापना में लंबित निलंबन तथा विभागीय कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा करें और यदि समीक्षा में यह पाया जाय कि किस स्तर पर किस पदाधिकारी द्वारा इन अनुदेशों के पालन में ढिलाई बरती गयी है तो उस पर भी कार्रवाई की जाय । इस पत्र में विभागीय कार्यवाही के संबंध में और निलंबित सरकारी सेवकों के संबंध में एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजने के लिए अनुदेश दिया गया था । परन्तु खेद है कि इसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

निलंबित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को निलंबन से मुक्त कर पुनः नियुक्त करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं पद्धति प्रशाखा का पत्रांक 605 दिनांक 18 अगस्त, 1978 में आवश्यक अनुदेश दिया गया था । निलंबन के मामलों के नियमित समीक्षा नहीं होने के फलस्वरूप ऐसा पाया गया है कि बहुत-से निलंबित पदाधिकारी / कर्मचारी काफी लम्बे अर्से तक निलंबन में रह जाते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । साथ ही साथ निलंबन अवधि के लिये जीवन यापन अनुदान (जिसकी दर एक वर्ष के बाद बढ़ा दी जाती है) देने के चलते सरकार को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है । अत्यधिक अवधि तक सरकारी सेवक को निलंबन में रखने से लोक सेवा को जो क्षति पहुंचती है उसका उल्लेख श्री एस०पी० सिंह के पत्रांक 188, दिनांक 9 जनवरी, 1953 में दिया गया है । सरकार ने मामले को गंभीरता से विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया है ।

(क) जैसे ही किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया जाता है और ऐसे सरकारी सेवक निलंबन में नहीं हो तो अनुशासनिक प्राधिकार को उन्हें निलंबित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये, खासकर ऐसे मामले में जिनमें गठित आरोप भ्रष्टाचार, कदाचार, सरकारी निधि का गबन और नैतिक नीचता

से संबंधित हो और जिनके प्रमाणित होने पर उन्हें जेल की सजा दी जा सकती है ।

(ख) ऐसे निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को जिनकी निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी है तथा जिनके विरुद्ध किसी फौजदारी मुकदमा में सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया जाय ।

(ग) ऐसे मामलों में भी जहां सरकारी सेवक के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा के अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही भी चलायी जा रही है और सरकारी सेवक के निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक की हो गयी है वहाँ आवश्यक है कि विभाग के सचिव द्वारा मामले की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में की जाय । उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी वकील के माध्यम से फौजदारी मुकदमा के त्वरित निष्पादन के लिये आवश्यक कार्रवाई करें । अगर उनके विचार से फौजदारी मुकदमा में बहुत अधिक विलंब होने की संभावना है और सरकारी सेवक के निलंबन की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी है तो विभागीय कार्यवाही पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के राजपत्रित पदाधिकारी के निलंबन से मुक्त करने के संबंध में मामले के गुण-दोष की जांचकर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त करें ।

(घ) अगर केवल विभागीय कार्रवाई की गयी हैं और मामला कोर्ट में संज्ञान नहीं लिया गया है तो दो वर्ष के बाद निलंबित पदाधिकारी को निलंबन से मुक्त किया जाय और अगर केवल विभागीय कार्यवाही की गयी है और वह दो वर्ष तक पूरा नहीं किया गया हो तो ऐसे पदाधिकारी को दो वर्ष के बाद निलंबन से मुक्त कर दिया जाय। विभागीय कार्यवाही दो वर्ष में अवश्य पूरी हो । जिस पदाधिकारी के कारण विभागीय कार्यवाही में विलंब हुआ है उस पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाय ।

अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय ।

(ङ) राजपत्रित / अराजपत्रित पदाधिकारियों को पुन: नियुक्त करने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी हरेक मामले की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में करें और यदि ऐसा कोई मामला हो जिसमें संबंधित पदाधिकारी को पुन: निलंबित करना आवश्यक समझा जाय तो पुन: मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर उन्हें निलंबित किया जाय ।

(च) 31 मार्च, 1981 को अंत हुई तिमाही की समीक्षा का प्रतिवेदन 31 जुलाई, 1981 तक अवश्य भेज दिया जाय ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन,
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
मुख्य सचिव ।

---

[16]

पत्र संख्या-3 / बधू 1-203/88-का०-7184

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एम०एल० मजुमदार, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना- 15, दिनांक 6वीं जून, 1988.

विषय :- **अनियमित नियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई-आश्वासन संख्या-814/85.**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि अनियमित नियुक्ति नहीं किए जाने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर कई परिपत्र निर्गत किए गए हैं, परन्तु सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ विभागों द्वारा अनियमित नियुक्ति नहीं किए जाने से संबंधित परिपत्रों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

2. बिहार विधान सभा में माननीय विधान सभा सदस्य, श्री रमेन्द्र कुमार के अल्प सूचित प्रश्न संख्या-93 (अ०सू०-21) दिनांक 29.7.85 के क्रम में सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, उसका उद्धरण आपके सुलभ निर्देश के लिए नीचे दिया जा रहा है :-

"आश्वासन संख्या-814 / 85"

प्रसंग एवं विषय

अल्प सूचित प्रश्न संख्या- 93 (अ०सू०-21) दिनांक 29 जुलाई, 1985 (सभा मेज से)

प्रश्नकर्त्ता :- श्री रमेन्द्र कुमार, स०वि०स०

विषय :- नियुक्ति में स्थानीय लोगों की उपेक्षा ।

सरकारी आश्वासन

श्री बिन्देश्वरी दूबे (1)

राज्य सरकार यह मानती है कि अनियमित नियुक्तियों का किया जाना एक गंभीर मामला है और इससे संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए । राज्य सरकार आरक्षण आयुक्त को निदेश दे रही है कि वे इस संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त कर ऐसी व्यवस्था करें कि अगले एक माह के अंतर्गत सभी अनियमित नियुक्तियों की समीक्षा कर जो पदाधिकारी दोषी पाये जायँ उनके संबंध में विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाय ।

(ज्ञाप संख्या-278-वि०स०, पटना, दिनांक 12 मार्च, 1986)

3. अनियमित नियुक्तियों पर रोक लगाने तथा ऐसी नियुक्तियों के लिए जवाबदेह पदाधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के संबंध में समय-समय पर परिपत्रों में जो अनुदेश दिये गये हैं का संगत अवतरण नीचे दिया जा रहा है :-

(1) परिपत्र संख्या-3 / आर 1-103 / 73-का०-16440 दिनांक 3-12-80

सरकारी कार्यालयों में वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया इस परिपत्र में विहित की गयी है। इस परिपत्र की प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को भेजी गयी है। इस परिपत्र में अनियमित नियुक्ति के संबंध में इसकी कंडिका-3 सुसंगत है, जिसका उद्धरण नीचे दिया जा रहा है।

"(3) सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि उपर्युक्त संकल्प में विहित प्रक्रिया के अनुसार वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई नहीं करने का स्पष्ट अर्थ है, सरकारी आदेश की अवहेलना जो बड़े ही खेद की बात है। अत: आशा की जाती है कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्तियां उपर्युक्त संकल्प में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाय। प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया विहित है, उसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक हो। यदि यह पाया गया कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ठीक रूप से नहीं किया गया है तो सरकार को बाध्य होकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस किसी पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है तो तुरन्त जांच की जायेगी और आरोप सत्यापित हुआ तो उस पदाधिकारी को तुरत निलंबित कर दिया जायेगा और उन्हें सेवा से हटाने की विभागीय कार्यवाही की जायेगी। ऐसी गलत नियुक्तियां तुरंत रद्द कर दी जायेगी।"

(2) परिपत्र संख्या-3 / आर 1-103 / 73-का०-16441 दिनांक 3 दिसम्बर, 1980

इस परिपत्र में चतुर्थवर्गीय पदों के लिए नियुक्ति के आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस परिपत्र की प्रतिलिपि सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को भेजी गयी है। इस परिपत्र की कंडिका-8, 9, 10 एवं 11 अनियमित नियुक्ति पर रोक से संबंधित है, जिसका अवतरण नीचे दिया जा रहा है :-

"(8) यह अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्तियों में किसी प्रकार का भेद-भाव, पक्षपात, या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता नहीं हो। अगर किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाती है तो व्यथित व्यक्ति के द्वारा आयुक्त के समक्ष शिकायत पत्र दिया जा सकता है। अगर जांचोपरांत आयुक्त द्वारा यह पाया जाता है कि आरोप सही है, तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

oo oo oo

(9) ऐसा पाया गया है कि बहुत-सी नियुक्तियां जो स्थानीय स्तर पर की जानी चाहिए, वे मुख्यालय द्वारा कर दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को अविलंब बंद कर देना चाहिए। अगर इस अध्यादेश की अवहेलना कर कोई नियुक्तियां मुख्यालय द्वारा की जाती है, तो उन्हें रद्द कर दी जायगी और जिन व्यक्तियों ने ऐसी नियुक्तियां की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

oo oo oo

(10) अनुरोध है कि वर्ग-4 के पदों पर नियुक्तियां उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ही की जाय। प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन दृढ़तापूर्वक हो। यदि यह पाया गया कि वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति के संबंध में किसी नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो सरकार को बाध्य होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। अगर आरोप सत्यापित हो जाय कि किसी पदाधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है तो उस पदाधिकारी को तुरत निलंबित कर दिया जायगा और उस पदाधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया की जायगी। ऐसी गलत नियुक्तियां तुरत रद्द कर दी जायेंगी। सरकार का यह भी निर्णय है कि अगर ऐसा पाया गया कि कोई नियुक्ति पदाधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना कर चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्तियां करते हैं तो इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दिए गए वेतन-भत्ते आदि राशि की वसूली उन्हीं से की जायेगी।"

०० ०० ००

(11) अनुरोध है कि नियुक्ति करते समय आरक्षण आदेश से संबंधित सभी सरकारी अनुदेशों का सम्यक् रूप से अनुपालन अवश्य करें।

(3) <u>परिपत्र संख्या-91 दिनांक 22.1.1982 की कंडिका -2 एवं 3 का उद्धरण।</u>

"(2) इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है और इस संदर्भ में सरकार का यह निर्णय हुआ है कि प्रथम तो कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति ही नहीं की जाए और यदि बहुत ही विशेष परिस्थिति में अल्प समय के लिए लोक हित में आवश्यकता भी हो तो उन पर नियुक्ति हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जाय जो उस वर्ग के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित है, ताकि इस माध्यम से न केवल स्थानीय लोगों को इन नियुक्तियों का लाभ मिले बल्कि जिलों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा का भी दृढ़ता से पालन किया जा सके।

०० ०० ००

(3) अनुरोध है कि पिछले रास्ते से अनियमित नियुक्ति की जो पद्धतियां हैं उस पर गहरी रोक लगायी जाय और कार्यभारित कर्मचारियों की नियुक्ति में वर्ग-3 और 4 के पदों पर नियुक्ति का जो सिद्धान्त एवं प्रक्रिया मुख्य सचिव के दिसम्बर, 1980 के परिपत्रों में निरूपित है, उनका कड़ाई से पालन कराया जाय। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभिन्न जिलों के लिए आरक्षण का जो कोटा निर्धारित है उसे पूरा करने में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाय। इस प्रकार के निदेश पहले भी दिये गये हैं। अत: जो सरकारी सेवक इसका उल्लंघन करेंगे, उन पर सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी।"

०० ०० ००

(4) <u>परिपत्र संख्या 3001 दिनांक 16.3.82 की कंडिका 3 एवं 4</u>

(3) सरकार पुन: इस निर्णय को संसूचित करना चाहती है कि निर्धारित प्रक्रिया और सिद्धान्त के विरुद्ध की गई कोई भी नियुक्ति, जिसमें दैनिक भत्ता पर की गई कोई नियुक्ति भी सम्मिलित है, को रोकने का पूरा उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षों या नियुक्ति पदाधिकारियों पर

होगा । उनका यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विभाग से उपर्युक्त व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का, जिनमें नियुक्ति का सिद्धान्त एवं प्रक्रिया का निरूपण किया गया है, कड़ाई से पालन हो, विभिन्न जिलों के लिए जो आरक्षण कोटा निर्धारित है, उसे विभिन्न दाव-पेंच के द्वारा विफल करने का प्रयास नहीं किया जाय और जो पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये तथा अनियमित नियुक्तियों और आरक्षित पदों के विरुद्ध अनारक्षित नियुक्तियों को रद्द किया जाए ।

oo oo oo

(4) भविष्य में सरकार उन विषयों के अनुपालन के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरायेगी । कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अविलंब अवगत करा दें और पत्र-प्राप्ति की सूचना दें ।"

oo oo oo

(5) <u>परिपत्र संख्या-7639 दिनांक 11.6.1986 की कंडिका -2 एवं 3</u>

"(2) बिहार विधान सभा में हुए वाद-विवाद के दौरान तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में पुनः इस निर्णय को संसूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रक्रिया और सिद्धान्त के विरुद्ध की गई तदर्थ नियुक्ति को बनाये रखने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति पदाधिकारियों पर होगा । उनका यह कर्तव्य होगा कि वे अपने विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का, जिनमें नियुक्ति के सिद्धान्त एवं प्रक्रिया का निरूपण किया गया है, कड़ाई से पालन हो । विभिन्न जिलों के लिए जो आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है, उसका भी अनुपालन हो और दिनांक 1.8.85 के बाद की गई अनियमित नियुक्तियों को रद्द किया जाय । साथ ही, जो पदाधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करें उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय ।

oo oo oo

(3) भविष्य में सरकार इन नियमों के अनुपालन के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरायेगी । कृपया इन नियमों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अविलंब अवगत करा दें ।"

oo oo oo

4- विधान सभा में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान उपर्युक्त अनुदेशों की ओर पुनः आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त परिपत्रों में निहित सरकार के आदेशों का पालन कड़ाई

से किया जाय, अनियमित नियुक्तियां अविलंब रद्द की जाय, और अनियमित नियुक्तियों के लिए जवाबदेह पदाधिकारियों के विरुद्ध उक्त परिपत्रों के आलोक में कठोरतम कार्रवाई की जाय।

5- कंडिका- 3 के आदेश से अपने विभाग के अधीन सभी पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया जाय तथा उन्हें आदेश दिया जाय कि वे कोई भी अनियमित नियुक्ति न करें और जवाबदेह पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाय।

6- आपसे यह भी अनुरोध है कि अगर आपके विभाग के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा अनियमित नियुक्ति की गयी हो तो अगले एक माह के भीतर उसकी समीक्षा कर दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध तुरत कठोरतम कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से कार्मिक विभाग को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव।

---

[17]

पत्र संख्या-2 / सी 3-30282/88 का०-4535

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री एम० एल० मजुमदार, सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 3 अप्रील, 1989
13 चैत्र, 1911 (श०)

विषय :- विकास कार्यों के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यों एवं कृत्यों का निर्धारण—निलम्बन आदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र संख्या- मं०मं० / वि०-2-1084/85 दिनांक 26.12.85 को निर्दिशित करते हुए मुझे कहना है कि सी० डब्लू० जे० सी० नं०- 1331/87 (आर) बालाजी पाण्डेय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य राँची बेंच के मामले में उपर्युक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय (राँची बेंच) द्वारा 17.9.87 को समाप्त कर दिया गया है। इस आधार पर द्वितीय श्रेणी के किसी भी पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश प्रमंडलायुक्त देने के लिए सक्षम नहीं हैं। पटना उच्च न्यायालय में दायर एक अन्य रिट याचिका सी०डब्लू०जे०सी०- 344/87 श्री विभूति भूषण झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में भी ऐसा ही आदेश पारित किया गया है।

यह स्वतः स्पष्ट हो गया है कि अब किसी द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी को केवल उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही उपयुक्त आधार पर निलंबित किया जा सकता है ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलायुक्त / जिला पदाधिकारी द्वारा किसी श्रेणी-2 के पदाधिकारी / बि० प्र० से० के पदाधिकारी को निलंबित नहीं किया जाय । निलंबन आदेश बिहार असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के तहत केवल सक्षम विभागीय पदाधिकारी / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जाय । यह विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि जिला पदाधिकारी किसी भी मामले में ऐसे पदाधिकारियों को निलंबित नहीं करेंगे ।

अनुरोध है कि इस पर कड़ी सतर्कता बरती जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-2 / सी 3-30282/88 का० 4535

पटना-15, दिनांक 3 अप्रील, 1989
13 चैत्र, 1911 (श०)

प्रतिलिपि - सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं संलग्न कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

---

[18]

पत्र संख्या - का० 9143

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एम० के० अग्रवाल, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 21 वीं जुलाई, 1986

विषय :- विभागीय जांच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपुर्द करने के पूर्व समय-समय पर निर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र / अनुदेशों में निहित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के गोपनीय पत्र संख्या-14088 दिनांक 11.9.1973 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि सिर्फ गंभीर दुराचार इत्यादि आरोपों से संबंधित विभागीय कार्यवाही ही, खासकर वैसे मामले जिनमें साक्षात सुनवायी आवश्यक हो,

विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जायें। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि ऐसा करने के पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति आवश्यक है और विभागीय जांच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प में यह स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि उसमें कार्मिक विभाग की अनौपचारिक सहमति प्राप्त की गयी है। इसके बिना कोई संकल्प विभागीय जांच आयुक्त स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

2- इधर ऐसी सूचना मिली है कि कार्मिक विभाग के उक्त पत्र में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रक्रिया का उल्लंघन होने के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में भी अनावश्यक विलंब हो जाता है।

3- अत: अनुरोध है कि विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को जांच के लिये विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैसी ही विभागीय कार्यवाही विभागीय जांच आयुक्त को सुपुर्द की जाय जो गंभीर कदाचार, बेईमानी आदि से संबंधित हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभागीय जांच आयुक्त को कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति भी प्राप्त कर ली गयी है।

4- इस प्रसंग में परामर्शी-सह-विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना (श्री ए०के०एम० हसन) के पत्र संख्या-143 / सी०डी०ई० दिनांक 27.4.1985 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्र में जो अनुदेश दिये गये हैं उनका भी अनुपालन विभागीय कार्यवाही सुपुर्द करने के पूर्व अवश्य किया जाय।

विभागीय जांच आयुक्त के उक्त पत्र के साथ एक जांच पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसकी ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आपको सुविधा देने के लिये उक्त जांच पत्र में अंकित विन्दुओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि कोई भी आरोप पत्र निर्गत करने के पूर्व तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के पूर्व आप किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस जांच पत्र पर हस्ताक्षर करा लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समय-समय पर निर्गत सरकार के परिपत्रों में निहित अनुदेशों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं।

"विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के पूर्व सरकारी आदेश / परिपत्रों में निहित अनुदेशों के अनुपालनार्थ जांचपत्र

1. क्या आरोप पत्र सही ढंग से तैयार किये गये हैं, और प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट हैं ?
2. क्या आरोपित पदाधिकारी को ज्ञापन एवं साक्ष्य तालिका के कागजात / अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं ?
3. क्या प्रशासी विभाग ने मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या- 4288, दिनांक 20 जुलाई, 1971 के अनुपालन में आरोपित पदाधिकारी का लिखित बचाव बयान प्राप्त कर लिया है ?

4. क्या विभागीय कार्यवाही चलाये जाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित नियम का संकल्प में उल्लेख है ?

5. क्या वरीय जिला अभियोजक के सहायतार्थ विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत हैं ?

6. क्या विभागीय जांच आयुक्त को जांच करने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ?

7. क्या संकल्प में उक्त सहमति प्राप्त करने का उल्लेख है ?

8. क्या विभागीय जांच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य तालिका के वर्णित सभी मूल कागजात / अभिलेख भेजे जा रहे हैं ?

9. क्या आरोपित पदाधिकारी के लिखित बचाव बयान की मूल प्रति जांच पदाधिकारी को भेजी जा रही है ?

10. क्या संकल्प / राज्यादेश पर हस्ताक्षरकर्त्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जांच कर ली है ?

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर"

5- कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेजने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एन० के० अग्रवाल
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या 2 / सी 3– 107 / 73 का० – 14088

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / विशेष सचिव ।

पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 1973 / 20 भाद्र, 1095 (स)

विषय :- विभागीय जांच आयुक्त, कार्मिक विभाग द्वारा जांच के संबंध में ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि नियुक्ति विभागीय ज्ञाप संख्या- 1929 दिनांक 12 फरवरी, 1960 में सभी विभागों को सूचित किया गया था विभागीय कार्यवाही की जांच हेतु नियुक्ति विभाग ने एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की थी । यह भी अनुरोध किया गया था कि वैसे ही विभागीय कार्यवाही, जो गंभीर कदाचार, बेईमानी इत्यादि से संबंधित हों, उन्हें जांच हेतु सुपुर्द की जाय एवं सुपुर्द करने के पूर्व मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लिया जाय । पुन: इन बातों को नियुक्ति विभागीय ज्ञाप संख्या- 16737 दिनांक 18 नवम्बर, 1960 में दुहराया गया ।

प्राय: यह देखा जाता है कि बहुधा सरकार के कई विभाग सामान्य किस्म के केसों से संबंधित आरोप विभागीय कार्यवाही विभागीय जांच आयुक्त को सौंप देते हैं जिससे इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों की अवहेलना होती रही है ।

आप कृपया इस बात को सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सिर्फ गंभीर दुराचार, बेईमानी इत्यादि

आरोपों से संबंधित विभागीय कार्यवाही ही, खासकर वे मामले जिनमें साक्षात सुनवायी आवश्यक हो विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जायँ । ऐसा करने के पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति आवश्यक है । विभागीय जांच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि उसमें कार्मिक विभाग की अनौपचारिक सहमति प्राप्त की गयी है । इसके बिना कोई संकल्प विभागीय जांच आयुक्त स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

ह०/- पी०के०जे० मेनन,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या-2/सी 3-107/73-का०-14088 पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 1973 ।

प्रतिलिपि - विभागीय जांच आयुक्त को उनके ज्ञाप संख्या- 579 दिनांक 7 जून, 1973 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- पी०के०जे० मेनन,
सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या- 143 / सी० डी० ई०
परामर्शी-सह-विभागीय जांच आयुक्त का कार्यालय,
बिहार, पटना ।

प्रेषक,

ए० के० एम० हसन, परामर्शी-सह-विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त-सह-सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1985 ।

विषय :- विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के संबंध में जांच पत्र का प्रचलन ।

महाशय,

कार्मिक एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर विभागीय जांच कार्य के संबंध में अनुदेश निर्गत किया गया है । फिर भी विभागीय जांच आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्राप्त विभागीय कार्यवाही में घोर त्रुटियां परिलक्षित होती हैं ।

2. कुछ मामले में ऐसा पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के सेवा निवृति के बाद जांच हेतु विभागीय संकल्प एवं कागजात अपूर्ण रूप से प्राप्त होता है । यह उल्लेखनीय है कि असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 तथा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अनुसार आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध, अगर उनकी सेवा निवृति के पूर्व आरोप-पत्र निर्गत किया गया है, तो विभागीय कार्यवाही नियमानुकूल है । इस संबंध में बी०एल०जे०आर० 1969 पृ० 553 (सी०डब्लू०जे०सी० सं० 92/1967 जगधारी राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्यान्य) द्रष्टव्य है । अगर आरोपित पदाधिकारी के सेवा निवृति के पूर्व आरोप पत्र निर्गत नहीं किया गया है, तो आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध केवल बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अनुसार ही विभागीय कार्यवाही की जा सकती है ।

3. साधारणत: देखा जाता है कि यद्यपि मुख्य सचिव के पत्र संख्या 3-156/71 नि० (नि०) विभाग-4288, दिनांक 20 जुलाई, 1971 (प्रतिलिपि संलग्न) में स्पष्ट किया गया है कि आरोप पत्र कैसे गठित किया जाना चाहिए, अधिकांश विभाग द्वारा आरोप पत्र महाभारत के आधुनिक संस्करण के रूप में भेजा जाता है । आरोपपत्र संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए । आरोप पत्र में साक्ष्य तालिका के वर्णन की आवश्यकता नहीं है । आरोप के समर्थन में सभी तथ्य एवं कागजात संलग्न साक्ष्य तालिका में उल्लिखित एवं सम्मिलित होना चाहिए ।

4. आरोप पत्र निर्गत करने के पश्चात, साक्ष्य तालिका के अतिरिक्त, आरोपित पदाधिकारी अगर कुछ कागजात देखना चाहते हैं तो उन्हें निर्दिष्ट पदाधिकारी के सम्मुख सभी संबंधित कागजात / अभिलेख देखने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि उक्त तिथि तक आरोपित पदाधिकारी कागजात अध्ययन कर अपना स्पष्टीकरण विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी को नहीं दाखिल करते हैं तो यह समझा जायगा कि आरोपित पदाधिकारी को अपने सफाई में कुछ कहना नहीं है । तदनुसार आगे की कार्यवाही की जायगी । आरोपित पदाधिकारी को इस प्रकार कागजात अध्ययन करने के लिए समुचित समय देना चाहिए ।

5. आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उन सफाइयों का पूर्ण अध्ययन कर नियमानुसार समुचित निर्णय लेना चाहिए । मुख्य सचिव द्वारा कार्मिक विभाग के गोपनीय पत्र संख्या-2/ सी-3-107/73 का०- 14088, दिनांक 11 सितम्बर, 1973, (प्रतिलिपि संलग्न) में यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे ही विभागीय कार्यवाही, जो गंभीर कदाचार, बेईमानी, इत्यादि से संबंधित हों, "उन्हें जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को सुपुर्द किया जाय एवं सुपुर्द करने के पूर्व मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लिया जाय ।"

6. कुछ विभाग द्वारा आरोप पत्र निर्गत कर आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय जांच आयुक्त के सम्मुख अपना सफाई बयान दाखिल करें जो स्वत: अनियमित है । इस प्रकार के विभागीय मामले तुरत प्रशासी विभाग को वापस किये जाते हैं ।

7. यह स्पष्ट करना है कि उल्लिखित सफाई बयान प्राप्त होने पर अगर यह देखा जाता है कि आरोपित पदाधिकारी निर्दोष हैं या लघु दंड से अनुशासन की रक्षा होगी तो विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही निर्णय लेना चाहिए । केवल उसी क्षेत्र में जहां लिखित बयान से स्पष्ट होता है कि सुनवाई की आवश्यकता है एवं यदि आरोप सिद्ध होता है तो आरोपित पदाधिकारी को वृहद दंड देना आवश्यक होगा, तो आरोप पत्र, सफाई बयान एवं मूल कागजात के साथ मुख्य सचिव के पूर्वादेश प्राप्त कर असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 55 के अधीन विभागीय जांच आयुक्त को जांच पदाधिकारी नियुक्त करने का संकल्प निर्गत करते हुए जांच के लिए सभी आवश्यक कागजात मूल प्रति में मुहर बंद लिफाफे में जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को अग्रसारित किया जाय । यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीब जांच आयुक्त के पदनाम से न कि पदाधिकारी के नाम से, जांच पैदाधिकारी नियुक्त किया जाय । पदनाम से जांच पदाधिकारी नियुक्त करने के पश्चात किसी जांच पदाधिकारी के स्थानान्तरण के बाद विभागीय संकल्प / राज्यादेश के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी ।

8. विभागीय संकल्प में विभाग की ओर से प्रस्तोता पदाधिकारी का भी नाम उल्लिखित रहना चाहिए, जिससे जांच पदाधिकारी द्वारा उन्हें जांच संबंधी तिथि एवं स्थान की सूचना समय पर दी जा सके । प्रस्तोता पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यवाही वर्षों से लंबित रह जाते हैं । कृपया इस संबंध में मुख्य सचिव के पत्र संख्या-एम-3-156/71 नि० (नि०) वि०-4288, दिनांक 20 जुलाई, 1971 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन किया जाय ।

9. निगरानी विभाग द्वारा कदाचार संबंधी परिपत्र संख्या-4162 / सी०सी०एस० दिनांक 6 नवम्बर, 1974 एवं परिपत्र संख्या-1/ नि० वि० 34063 / 82-1708 / नि० वि०, दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 की प्रतिलिपि भी आपके सूचनार्थ संलग्न की जाती है ।

10. विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में शीघ्रता लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा एक जांच पत्र या चेक स्लीप प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ संलग्न की जाती है । आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी आरोप पत्र निर्गत करने के पूर्व तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा यह जांच पत्र हस्ताक्षर करा लें, जिससे स्पष्ट होगा कि संबंधित सरकारी अनुदेशों का पालन किया गया है या नहीं ।

11. कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दिया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए०के०एम० हसन
परामर्शी-सह-विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या- एम - 3- 156 / 71 नि० (नि०) वि०- 4288
बिहार सरकार,
नियुक्ति (निगरानी) विभाग ।

सेवा में,

सभी प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, 20 जुलाई, 1971

विषय : - विभागीय कार्यवाहियों के निष्पादन में शीघ्रता बरतने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नियुक्ति विभाग के पत्र संख्या- 5532, दिनांक 28 अप्रील, 1963 में दिये गये आवश्यक अनुदेशों के बावजूद प्राय: यह देखा जाता है कि विभागीय कार्यवाहियों के निष्पादन में काफी विलंब होता है । सरकार की यह धारणा है कि वैसे विलंब के लिये प्रमुख कारण यह है कि आरोपित पदाधिकारी को, जिन सामग्रियों के आधार पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया जाता है उसकी प्रतियां समयानुसार नहीं दी जाती है । इसका परिणाम यह होता है कि आरोपित पदाधिकारी बिना अभिलेख एवं कागजात को देखे अपना

लिखित बयान देने में काफी विलंब कर देते हैं, उसी प्रकार आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध केवल सरकारी संकल्प विभागीय जांच आयुक्त के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होता है जब तक कि आरोपित पदाधिकारी को साक्ष्य तालिका में वर्णित अभिलेखों की प्रतियां उन्हें आपूर्ति नहीं की जाती और उनका शोकॉज नहीं मिल जाता। सरकार को यह भी देखने में आता है कि आरोप-पत्र का गठन समुचित रूप से नहीं किया जाता है। नियमानुसार यह आवश्यक है कि आरोप-पत्र में उल्लिखित आरोप शुद्ध एवं स्पष्ट हो। पर कभी-कभी आरोप-पत्र में शुद्ध एवं स्पष्ट आरोप नहीं बतलाकर केवल विषय का इतिहास का वर्णन है और कभी-कभी सचिवालय के पदाधिकारी की टिप्पणी का उद्धरण ही है, जिससे आरोप स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। साथ ही आरोप पत्रों में साक्ष्य तालिका का भी पूर्णरूप से जिक्र नहीं रहता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को देखें कि जब कभी किसी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किये जाएं उसमें प्रत्येक आरोप के संबंध में साक्ष्य तालिका एवं संबंधित गवाहों की सूची अवश्य दी जाय। आरोप से संबंधित अभिलेख सब कागजात तथा गवाहों के बयान संकल्प निर्गत करने के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लिये जाएं तथा आरोपित पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाय कि वे प्रशासी विभाग या निगरानी विभाग के किसी पदाधिकारी के समक्ष एक निर्दिष्ट तिथि के अंदर कागजात देखकर अपना लिखित बयान प्रशासी विभाग के पास प्रस्तुत करें। लिखित बयान प्राप्त होने पर यदि सुनवाई आवश्यक हो जाती है तभी सब कागजात के साथ उसको विभागीय जांच आयुक्त के पास भेजें। साक्ष्य तालिका में उल्लिखित कागजात के अलावा अगर आरोपित पदाधिकारी कोई अन्य कागजात अपने बचाव के लिये देखना चाहेंगे तब वैसी स्थिति में विभागीय जांच आयुक्त को अधिकार होगा कि वे इस संबंध में अलग से अनुमति देने के प्रश्न पर अपना निर्णय देंगे, जो निर्णय अंतिम होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक विभागों में विभागीय कार्रवाइयों के लिये कागज इत्यादि रखने के लिये एक जिम्मेदार पदाधिकारी को उत्तरदायी बनाया जायँ।

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में विलंब होने का दूसरा प्रमुख कारण यह देखने में आता है कि संचालन पदाधिकारी के सहायतार्थ प्रतिनियुक्त निगरानी विभाग के जिला अभियोजक को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिये प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं भेजा जाना। इस विलंब को दूर करने के लिये सहज उपाय यह है कि संकल्प की एक प्रति में प्रशासकीय विभाग के जो पदाधिकारी जिला अभियोजक को सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिनियुक्त किये जाय उनके नाम का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय।

कृपया इन अनुदेशों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाय और देखा जाय कि इसका अनुपालन अवश्य हो।

विश्वासभाजन,
ह०/- आर०एस० मंडल
सरकार के मुख्य सचिव।

[19]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय :- **निन्दन एवं चेतावनी की सजा का सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि पर पड़नेवाले कुप्रभाव के संबंध में ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 5502 दिनांक 17 मई, 1982 (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका-3 निम्न प्रकार है :-

3- यदि किसी पदाधिकारी / कर्मचारी की चरित्रपुस्ती में तीन "निन्दन" या पांच "चेतावनी" की प्रविष्टि हुई हो तो कुप्रभाव की अवधि को उपर्युक्त निदेश के अनुसार नहीं आंक कर उन्हें ऐसा समझा जाय कि वे प्रोन्नति हेतु सम्प्रति अर्हता ही नहीं रखते हैं ।

इसका तात्पर्य यह माना गया है कि ऐसे पदाधिकारी / कर्मचारी अपनी शेष सेवावधि में प्रोन्नति हेतु स्थायी रूप से अयोग्य समझे जायेंगे ।

2- सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय लिया है कि ऐसे पदाधिकारी / कर्मचारी जिन्हें तीन "निन्दन" अथवा पांच "चेतावनी" की सजा मिल चुकी है वे प्रोन्नति से स्थायी रूप से वंचित नहीं किये जायें । अपितु, ऐसे व्यक्ति को प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जाय जब अंतिम (तीसरे) "निन्दन" / पांचवी "चेतावनी" के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस पदाधिकारी / कर्मचारी का अगले पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो, और उन्हें अगले पांच वर्षों की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो ।

उदाहरण के रूप में यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन अथवा पांचवीं चेतावनी की सजा का कुप्रभाव 1980 में समाप्त होता हो और उनकी प्रोन्नति 1986 या उसके पूर्व देय होती हो तो 1986 में अर्थात अंतिम सजा के कुप्रभावों की समाप्ति के पांच वर्षों के बाद उनकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्ते 1981 से 1985 तक की पांच वर्षों की अवधि में कम से कम तीन वर्ष का इनका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और इन पांच वर्षों की अवधि में उन्हें कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो ।

3- यह संकल्प इससे प्रभावित होने वाले ऐसे सभी अनिर्णीत मामलों में लागू होगा।

आदेश :- आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित करायी जाए और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलायुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

ह०/- के० के० श्रीवास्तव
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 3 / आर 1-201 / 86 का० **2475** पटना-15, दिनांक 28 फरवरी, 1986

प्रतिलिपि - सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- सरयू प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 3/ आर 1-201 / 86 का० 2475 पटना-15, दिनांक 28 फरवरी 1986

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित । अनुरोध है कि इसकी दो हजार प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को शीघ्र आपूर्ति की जाय।

ह०/- सरयू प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[20]

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञाप संख्या 3 / एम 1- 5039 / 85-का० – 9703 पटना-15, दिनांक 2वीं अगस्त, 85

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी
(विधि विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित)

विषय :- निलंबन की अवधि में सरकारी सेवकों द्वारा उपस्थिति अंकित करने के संबंध में ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि निलंबन की अवधि में सरकारी सेवकों द्वारा उपस्थिति अंकित की जायेगी अथवा नहीं यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था ।

2- राज्य सरकार ने इस विन्दु पर भली-भांति विचार कर अब यह निर्णय लिया है कि चूंकि निलंबन अवधि में भी निलंबित कर्मचारी / पदाधिकारी सरकारी सेवक बना रहता है एवं सरकार उक्त अवधि में उक्त सेवक को जीवन-यापन अनुदान देती है, अत: यह अपेक्षा की जाती है कि निलंबन अवधि में भी सरकारी सेवक अपने निर्धारित मुख्यालय में हमेशा उपस्थित रहेगा । इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार अब यह व्यवस्था करती है कि निलंबित पदाधिकारी / कर्मचारी को प्रतिदिन उस कार्यालय में उपस्थिति बनानी होगी जहां निलंबन की अवधि में उसका मुख्यालय निर्धारित हुआ होगा । मुख्यालय छोड़ने के लिये उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी । उपस्थिति पंजी के आधार पर ही निलंबित सरकारी सेवक के संबंध में मासिक जीवन-यापन विपत्र बनाया जायेगा ।

3- इन अनुदेशों से कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और भविष्य में इनका दृढ़ता से अनुपालन किया जाय ।

ह०/- विजय शंकर दूबे
सरकार के सचिव ।

---

[21]

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय :- **पदावनति की सजा का सरकारी सेवकों के प्रोन्नति आदि के मामलों पर पड़ने वाले कुप्रभाव का निर्धारण ।**

सरकारी सेवकों को कदाचार, अनुशासनहीनता आदि के प्रमाणित आरोपों के लिये विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं । इन दंडों में कुछ लघु दंड होते हैं और कुछ वृहत । लघु दंडों का कुप्रभाव संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति, दक्षतारोक, सेवा सम्पुष्टि आदि के मामलों पर कितने वर्षों तक पड़ेगा, इसका प्रावधान विभिन्न सरकारी अनुदेशों में किया गया है, किन्तु वृहत दंडों में पदावनति की सजा का कुप्रभाव कितने वर्षों तक पड़ेगा, इस विषय पर सरकार का कोई स्पष्ट अनुदेश नहीं है ।

(2) अब इस मामले पर भली-भांति विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि पदावनति की सजा का कुप्रभाव आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले 7 वर्षों तक पड़ेगा । इस अवधि में संबंधित पदाधिकारी को सम्पुष्टि, दक्षतारोध पार कराने अथवा प्रोन्नति के योग्य नहीं समझा जायेगा, परन्तु 7 वर्षों की अवधि के बीत जाने पर संबंधित सरकारी सेवक को प्रोन्नति, दक्षतारोध पार करने, सम्पुष्टि आदि का लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते कि उक्त सेवक प्रोन्नति, सेवा सम्पुष्टि आदि के लिये अन्यथा योग्य पाया जाय ।

आदेश :- आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण को जानकारी के लिये राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलायुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- विजय शंकर दूबे
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 3 / आ 1-102/85-का० – 6051 पटना, दिनांक 11वीं मई, 1985

प्रतिलिपि सभी विभाग (निगरानी विभाग सहित) / सभी विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त के सचिव / राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव / मुख्यमंत्री के आयुक्त एवं सचिव / प्रमंडलायुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित ।

ह०/- सरयू प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 3/ आर 1-102 / 85-का०-6051 पटना-15, दिनांक 11वीं मई, 85 ।

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय एवं उक्त

राजपत्र की 2000 प्रतियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु शीघ्र सुलभ कराई जाय ।

ह/० - सरयू प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[22]

सं० 12 / वि०-1013 / 81-का०-5502

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 17 मई, 1982 ।

सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टांत आये हैं जिनसे विदित हुआ है कि पदाधिकारियों की संपुष्टि, दक्षता रोक पार करने तथा प्रोन्नति के मामलों में आरोपों और भूल-चूक के कारण दी गयी "निन्दन" की सजा का कुप्रभाव विभागों द्वारा अलग-अलग ढंग से दिया जाता रहा है । इस प्रकार से सभी मामलों में एकरूपता नहीं रह जाती है । सरकार ने यह अनुभव किया है कि इस विन्दु पर चूंकि पूर्व में सामान्य निर्देश देते हुए कोई अनुदेश नहीं निर्गत किया गया है, अतः सभी मामलों में एकरूपता बरतने हेतु भली-भांति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि किसी पदाधिकारी / कर्मचारी को जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल-चूक के कारण "निन्दन" की सजा दी जाती है, उस "निन्दन" का उनकी संपुष्टि, दक्षता-रोक पार करने तथा प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव पड़ेगा ।

2. अगर किसी पदाधिकारी / कर्मचारी को निन्दन की सजा के लिये विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी पदाधिकारी को अपनी सफाई देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) 'चेतावनी' की सजा दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि उनकी चरित्रपुस्ति में की जाती है उसका कुप्रभाव पदाधिकारी की सम्पुष्टि, दक्षता अवरोध पार करने तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा ।

3. यदि किसी पदाधिकारी / कर्मचारी की चरित्रपुस्ति में तीन 'निन्दन' या पांच 'चेतावनी' की प्रविष्टि हुई हो तो कुप्रभाव की अवधि को उपर्युक्त निदेश के अनुसार नहीं आंक कर उन्हें ऐसा समझा जाय कि वे प्रोन्नति हेतु सम्प्रति अर्हता ही नहीं रखते हैं ।

आदेश - आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजकीय गजट में प्रकाशित करायी जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलायुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रेम प्रसाद नैय्यर,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप सं० 12/वि०-1013/81 का०-5502 पटना-15, दिनांक 17 मई, 1982 ।

प्रतिलिपि सभी विभाग (निगरानी विभाग सहित) / सभी विभागाध्यक्ष / लोकायुक्त के सचिव / राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव / मुख्य मंत्री के आयुक्त एवं सचिव / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी बन्दोवस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

[23]

पत्र संख्या- 143 / सी० डी० ई०

परामर्शी-सह-विभागीय जांच आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

ए० के० एम० हसन, परामर्शी -सह-विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त -सह-सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिलाधकारी

पटना-15, दिनांक 27 अप्रील, 1985 ।

विषय :- **विभागीय कार्यवाही संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के संबंध में जांच पत्र का प्रचलन ।**

महाशय,

कार्मिक एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर विभागीय जांच कार्य के संबंध में अनुदेश निर्गत किया गया है । फिर भी विभागीय जांच आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्राप्त विभागीय कार्यवाही में घोर त्रुटियां परिलक्षित होती हैं ।

2. कुछ मामले में ऐसा पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के सेवा निवृति के बाद जांच हेतु विभागीय संकल्प एवं कागजात अपूर्ण रूप से प्राप्त होता है । यह उल्लेखनीय है कि असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 तथा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अनुसार आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध, अगर उनकी सेवा निवृति के पूर्व आरोप पत्र निर्गत किया गया है, तो विभागीय कार्यवाही नियमानुकूल है । इस संबंध में बी० एल० जे० आर० 1969 पृष्ठ 553 (सी० डब्लू० जे० सी० सं० 92/1967 जगधारी राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्यान्य) द्रष्टव्य है । अगर आरोपित पदाधिकारी के सेवा निवृति के पूर्व आरोप पत्र निर्गत नहीं किया गया है, तो आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध केवल बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अनुसार ही विभागीय कार्यवाही की जा सकती है ।

3. साधारणत: देखा जाता है कि यद्यपि मुख्य सचिव के पत्र संख्या- एम०3-156 / 71 नि० (नि०) विभाग- 4288, दिनांक 20 जुलाई, 1971 (प्रतिलिपि संलग्न) से स्पष्ट किया गया है कि आरोप पत्र कैसे गठित किया जाना चाहिए, अधिकांश विभाग द्वारा आरोप पत्र महाभारत के आधुनिक संस्करण के रूप में भेजा जाता है ।

आरोप पत्र संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए । आरोप पत्र में साक्ष्य तालिका के वर्णन की आवश्यकता नहीं है । आरोप के समर्थन में सभी तथ्य एवं कागजात संलग्न साक्ष्य तालिका में उल्लिखित एवं सम्मिलित होना चाहिए ।

4. आरोप पत्र निर्गत करने के पश्चात, साक्ष्य तालिका के अतिरिक्त, आरोपित पदाधिकारी अगर कुछ कागजात देखना चाहते हैं तो उन्हें निर्दिष्ट पदाधिकारी के सम्मुख सभी सम्बन्धित कागजात अभिलेख देखने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि उक्त तिथि तक आरोपित पदाधिकारी कागजात अध्ययन कर अपना स्पष्टीकरण विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी को नहीं दाखिल करते हैं तो यह समझा जायगा कि आरोपित पदाधिकारी को अपने सफाई में कुछ कहना नहीं है । तदनुसार आगे की कार्यवाही की जायगी । आरोपित पदाधिकारी को इस प्रकार कागजात अध्ययन करने के लिए समुचित समय देना चाहिए ।

5. आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उन सफाइयों को पूर्ण अध्ययन कर नियमानुसार समुचित निर्णय लेना चाहिए । मुख्य सचिव द्वारा कार्मिक विभाग के गोपनीय पत्र संख्या- 2 / सी 3-107 / 73 का०-14088, दिनांक 11 सितम्बर, 1973 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह स्पष्ट किया है कि "वैसे ही विभागीय कार्यवाही, जो गंभीर कदाचार, बेईमानी इत्यादि से सम्बन्धित हो," उन्हें जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को सुपुर्द किया जाय एवं सुपुर्द करने के पूर्व मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लिया जाय ।

6. कुछ विभाग द्वारा आरोप पत्र निर्गत कर आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय जांच आयुक्त के सम्मुख अपना सफाई बयान दाखिल करे, जो स्वत: अनियमित है । इस प्रकार के विभागीय मामले तुरत प्रशासी विभाग को वापस किये जाते हैं ।

7. यह स्पष्ट करना है कि उल्लिखित सफाई बयान प्राप्त होने पर अगर यह देखा जाता है कि आरोपित पदाधिकारी निर्दोष है या लघु दंड से अनुशासन की रक्षा होगी तो विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही निर्णय लेना चाहिए । केवल उसी क्षेत्र में जहां लिखित बयान से स्पष्ट होता है कि सुनवाई की आवश्यकता है एवं यदि आरोप सिद्ध होता है तो आरोपित पदाधिकारी को वृहद दंड देना आवश्यक होगा, तो आरोप पत्र सफाई बयान एवं मूल कागजात के साथ मुख्य सचिव के पूर्वादेश प्राप्त कर असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 55 के अधीन विभागीय जांच आयुक्त को जांच पदाधिकारी नियुक्त करने का संकल्प निर्गत करते हुए जांच के लिए सभी आवश्यक कागजात मूल प्रति में मुहर बन्द लिफाफे में जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को अग्रसारित किया जाय । यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय जांच आयुक्त के पदनाम से न कि पदाधिकारी के नाम से, जांच पदाधिकारी नियुक्त किया जाय । पदनाम से जांच पदाधिकारी नियुक्त करने के पश्चात किसी अन्य पदाधिकारी के स्थानांतरण के बाद विभागीय संकल्प / राज्यादेश के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी ।

8. विभागीय संकल्प में विभाग की ओर से प्रस्तोता पदाधिकारी का भी नाम उल्लिखित रहना चाहिए, जिससे जांच पदाधिकारी द्वारा उन्हें जांच संबंधी तिथि एवं स्थान की सूचना समय पर दी जा सके । प्रस्तोता पदाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यवाही वर्षों से लम्बित रह जाते हैं । कृपया इस संबंध में मुख्य

सचिव के पत्र संख्या- एम 3-156 / 71 नि० (नि०) वि०-4288, दिनांक 20 जुलाई, 1971 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन किया जाय।

9. निगरानी विभाग द्वारा कदाचार निरोध संबंधी परिपत्र संख्या- 4182 / सी०सी०एस० दिनांक 6 नवम्बर, 1974 एवं परिपत्र संख्या-1/नि० वि०-34063/82-1708/ नि० वि०, दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 की प्रतिलिपि भी आपके सूचनार्थ संलग्न की जाती है ।

10. विभागीय कार्यवाही की निष्पादन में शीघ्रता लाने के लिए इस कार्यालय द्वारा एक जांच पत्र या चेक स्लीप प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ संलग्न की जाती है । आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी आरोप पत्र निर्गत करने के पूर्व तथा विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा यह जांच पत्र हस्ताक्षर करा लें, जिससे स्पष्ट होगा कि संबंधित सरकारी अनुदेशों का पालन किया गया है या नहीं ।

11. कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दिया जाय ।

विश्वासभाजन,
ए०के० एम० हसन,
परामर्शी-सह-विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना

विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प / राज्यादेश निर्गत करने के पूर्व सरकारी आदेश / परिपत्र में निहित
अनुदेशों के अनुपालनार्थ जांच पत्र ।

1. क्या आरोप पत्र सही ढंग से तैयार किये गये हैं, और प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट हैं ?
2. क्या आरोपित पदाधिकारी को ज्ञापन एवं साक्ष्य तालिका के कागजात / अभिलेख उपलब्ध करा दियें गये हैं ?
3. क्या प्रशासी विभाग ने मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या- 4288, दिनांक 20 जुलाई, 1971 के अनुपालन में आरोपित पदाधिकारी का लिखित बयान प्राप्त कर लिया है ?
4. क्या विभागीय कार्यवाही चलाये जाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम का संकल्प में उल्लेख है ?
5. क्या वरीय जिला अभियोजक के सहायतार्थ विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत हैं ?
6. क्या विभागीय जांच आयुक्त को जांच करने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ?
7. क्या संकल्प में उक्त सहमति प्राप्त करने का उल्लेख है ?
8. क्या विभागीय जांच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य तालिका के वर्णित सभी मूल कागजात अभिलेख भेजे जा रहे हैं ?
9. क्या आरोपित पदाधिकारी के लिखित बचाव बयान की मूल प्रति जांच पदाधिकारी को भेजी जा रही है ?

10. क्या संकल्प / राज्यादेश पर हस्ताक्षरकर्त्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जांच कर ली है ?

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पत्र संख्या-एम-3-156 / 71 नि० (नि०) वि-4288

बिहार सरकार

नियुक्ति (निगरानी) विभाग

सेवा में,

सभी प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिलाधिकारी।

पटना, 20 जुलाई 1971

विषय :- विभागीय कार्यवाहियों के निष्पादन में शीघ्रता बरतने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नियुक्ति विभाग के पत्र संख्या 5532 दिनांक 28 अप्रील 1963 में दिये गये आवश्यक अनुदेशों के बावजूद प्रायः यह देखा जाता है कि विभागीय कार्यवाहियों के निष्पादन में काफी विलम्ब होता है। सरकार की यह धारणा है कि वैसे विलम्ब के लिये प्रमुख कारण यह है कि आरोपित पदाधिकारी को, जिन सामग्रियों के आधार पर उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित किया जाता है उसकी प्रतियां समयानुसार नहीं दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आरोपित पदाधिकारी बिना अभिलेख एवं कागजात को देखे अपना लिखित बयान देने में काफी विलम्ब कर देते हैं, उसी प्रकार आरोपित पदाधिकारियों के विरुद्ध केवल सरकारी संकल्प विभागीय जांच आयुक्त के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होता है जबतक कि आरोपित पदाधिकारी को साक्ष्य तालिका में वर्णित अभिलेखों की प्रतियां उन्हें आपूर्ति नहीं की जाती और उनका शो कॉज नहीं मिल जाता। सरकार को यह भी देखने में आता है कि आरोप-पत्र का गठन समुचित रूप से नहीं किया जाता है। नियमानुसार यह आवश्यक है कि आरोप-पत्र में उल्लिखित आरोप शुद्ध एवं स्पष्ट हो। पर कभी-कभी आरोप-पत्र में शुद्ध एवं स्पष्ट आरोप नहीं बतलाकर केवल विषय का इतिहास का वर्णन है, और कभी-कभी सचिवालय के पदाधिकारी की टिप्पणी का उद्धरण ही है, जिससे आरोप स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। साथ ही आरोप पत्रों में साक्ष्य तालिका का भी पूर्ण रूप से जिक्र नहीं रहता है।

अतः आप से अनुरोध है कि आप इस बात को देखें कि जब कभी किसी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किये जायें उसमें प्रत्येक आरोप के संबंध में साक्ष्य तालिका एवं संबंधित गवाहों की सूची अवश्य दी जाय। आरोप से संबंधित अभिलेख सब कागजात तथा गवाहों के बयान संकल्प निर्गत करने के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लिये जाएं तथा आरोपित पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाय कि वे प्रशासी विभाग या निगरानी विभाग के किसी पदाधिकारी के समक्ष एक निर्दिष्ट तिथि के अंदर कागजात देखकर अपना लिखित बयान प्रशासी विभाग के पास प्रस्तुत करें। लिखित बयान प्राप्त होने पर यदि सुनवाई आवश्यक हो जाती है, तभी सब कागज के साथ उसको

विभागीय जांच आयुक्त के पास भेजें । साक्ष्य तालिका में उल्लिखित कागजात के अलावा अगर आरोपित पदाधिकारी कोई अन्य कागजात अपने बचाव के लिये देखना चाहेंगे तब वैसी स्थिति में विभागीय जांच आयुक्त को अधिकार होगा कि वे इस संबंध में अलग से अनुमति देने के प्रश्न पर अपना निर्णय देंगे । जो निर्णय अंतिम होगा । मैं यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक विभागों में विभागीय कार्रवाइयों के लिये कागज इत्यादि रखने के लिये एक जिम्मेदार पदाधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय ।

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में विलम्ब होने का दूसरा प्रमुख कारण यह देखने में आता है कि संचालन पदाधिकारी के सहायतार्थ प्रतिनियुक्त निगरानी विभाग के जिला अभियोजक को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिये प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं भेजा जाना । इस विलंब को दूर करने के लिए सहज उपाय यह है कि संकल्प की एक प्रति में प्रशासकीय विभाग के जो पदाधिकारी जिला अभियोजक की सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिनियुक्त किये जायें उनके नाम का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय ।

कृपया इन अनुदेशों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाय और देखा जाय कि इसका अनुपालन अवश्य हो ।

विश्वासभाजन,
आर० एस० मंडल,
सरकार के मुख्य सचिव ।

<u>गोपनीय</u>

ज्ञाप संख्या -2 / सी 3-107 / 73 / का०- 14088

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / विशेष सचिव ।

पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 1973
20 भाद्र, 1895 (श०)

विषय :- विभागीय जांच आयुक्त, कार्मिक विभाग द्वारा जांच के संबंध में ।

निदेशानुसार अधोस्ताक्षरी को यह कहना है कि नियुक्ति विभागीय ज्ञाप संख्या 1929, दिनांक 12 फरवरी 1960 (प्रति संलग्न) में सभी विभागों को सूचित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही की जाँच हेतु नियुक्ति विभाग ने एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की थी । यह भी अनुरोध किया गया था कि वैसे ही विभागीय कार्यवाही, जो गंभीर कदाचार, बेईमानी इत्यादि से संबंधित हों, उन्हें जांच हेतु सुपुर्द करने के पूर्व मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर लिया जाय । पुन: इन बातों को नियुक्ति विभागीय ज्ञाप संख्या 16737, दिनांक 18 नवम्बर 1960 (प्रति संलग्न) में दुहराया गया ।

प्राय: यह देखा जाता है कि बहुधा सरकार के कई विभाग सामान्य किस्म के से संबंधित आरोप विभागीय कार्यवाही विभागीय जांच आयुक्त को सौंप देते हैं जिससे इस विषय पर जारी किये अनुदेशों की अवहेलना होती रही है ।

आप कृपया इस बात को सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि सिर्फ गंभीर दुराचार, बेईमानी इत्यादि आरोपों से संबंधित विभागीय कार्यवाही ही, खासकर वे मामले जिनमें साक्षात सुनवाई आवश्यक हो, विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जायें । ऐसा करने के पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति आवश्यक है, विभागीय जांच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही संबंधी संकल्प में यह स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि उसमें कार्मिक विभाग की अनौपचारिक सहमति प्राप्त की गयी है । इसके बिना कोई संकल्प विभागीय जांच आयुक्त स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

ह०/- पी० के० जे० मेनन,
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या-2 / सी 3-107 / 73 / का०-14088 पटना-15, दिनांक 11 सितम्बर, 1973

प्रतिलिपि विभागीय जांच आयुक्त को उनके ज्ञाप संख्या 579, दिनांक 7 जून, 1973 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- पी० के० जे० मेनन,
सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्रांक 1 / नि० वि०-34068 / 82- 1708 / नि० वि०

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग

प्रेषक,

श्री एस० के० मुखर्जी, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सरकार के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / आरक्षी महानिरीक्षक / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 ।

विषय :- निगरानी सम्बन्धी मामले तथा निगरानी विभाग को निर्देशित किए जाने वाले मामलों के संबंध में विभागों का उत्तरदायित्व ।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या 4162 / गो० सी० एस० दिनांक 6 नवम्बर, 1974 के द्वारा उपर्युक्त विषय के बारे में विस्तृत अनुदेश संसूचित किए गए हैं । उक्त पत्र की प्रतिलिपि सुविधा के लिए संलग्न की जा रही है । उक्त अनुदेश अत्यन्त स्पष्ट है, पर दुर्भाग्यवश उनका उचित अनुसरण नहीं किया गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि उक्त परिपत्र को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाय और दृढ़ता से उनका पालन किया जाय ।

2. हाल में यह देखा गया है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध यथेष्ट सामग्रियां प्रकाश में आने पर भी विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की दिशा में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई है । ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि ऐसे मामले, उपलब्ध तथ्यों के पुन: सत्यापन हेतु, निगरानी विभाग को निदेशित कर दिए गए हैं । यह बिल्कुल, अनावश्यक है और ऐसा नहीं करना चाहिए ।

3. पुन: बड़ी संख्या में भिन्न प्रकार के मामले, जिनमें प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है, निगरानी विभाग को निदेशित कर दिए गए हैं । स्वाभाविक है कि ऐसे मामलों में उपयोगी जांच अथवा विभागों की उपयोगी अनुशंसा नहीं जा सकी । उल्लेखनीय है कि सामान्यतया नियुक्ति में अनियमितता से संबंधित मामले विभागों द्वारा स्वयं देखे जाने चाहिए । उसी प्रकार, सामान्य प्रकृति की वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी विभाग द्वारा ही निष्पादित किए जाने चाहिए । इस उद्देश्य से कि ये उपर्युक्त मामले ही निगरानी विभाग को भेजे जायँ, क्षेत्रीय पदाधिकारी सीधे निगरानी विभाग को मामले निदेशित नहीं करें । बल्कि उस प्रकार के मामले सम्बन्धित विभाग को भेजें जो संतुष्ट होने पर आवश्यकतानुसार मामले को निगरानी विभाग को भेजेंगे । विभाग अपनी तरफ से, प्रभारी मंत्री का अनुदेश लेकर ही किसी विषय को निगरानी विभाग द्वारा जांच हेतु भेजेंगे, और ऐसा करते समय यह उल्लेख करेंगे कि विभागीय मंत्री द्वारा आदेश ले लिया गया है ।

4. कुछ महत्वपूर्ण विभागों एवं राज्य सरकार के अधीन निगमों / पर्षदों की अपनी निगरानी इकाइयां हैं, अतएव उन्हें निगरानी विभाग को अत्यंत महत्वपूर्ण मामले ही भेजना चाहिए । मोटे तौर पर, निगरानी विभाग उक्त विभागों / निगमों / पर्षदों के केवल वरीय पदाधिकारियों के मामले ही अपने हाथ में लेगा । अन्य मामले यदि निगरानी विभाग में सीधे प्राप्त होंगे, तो उन्हें संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

5. सभी सरकारी सेवकों को नियमानुसार सम्पत्ति विवरणी सरकार को समर्पित करना है, पर इस अनुदेश का पालन सामान्यतया नहीं हो पा रहा है । विभाग का उत्तरदायित्व है कि वे उक्त नियम का पालन सुनिश्चित करें । यह देखा गया है कि सम्पत्ति-अर्जन से संबंधित मामलों की जांच में इसलिए अनिश्चित विलम्ब होता है कि विभाग अपने पदाधिकारियों की अद्यतन सम्पत्ति विवरणियां उपलब्ध नहीं करा पाते हैं ।

6. मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव निगरानी से संबंधित मामलों की अलग पंजी संधारित करें जिनमें निगरानी विभाग को, अथवा उसके द्वारा, निदेशित मामलों का समावेश रहे । ऐसा करने से ही निगरानी मामलों का पीछा करना उनके लिए संभव होगा । इसके अलावे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभाग में निगरानी विभाग से प्राप्त पत्रों पर तत्परता से ध्यान दिया जाय ।

विश्वासभाजन,
एस० के० मुखर्जी,
सरकार के मुख्य सचिव ।

[24]

संकल्प संख्या- 7225 का०, दिनांक 6.6.1981

संकल्प

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 2 / सी० 3-8-16 / 72 - 6565- का० दिनांक 1.5.1973 एवं संकल्प संख्या 12 / ई 3-20308 / 77 का०- 4512 दिनांक 12.3.1979 में पदाधिकारियों की संपुष्टि, दक्षतारोध पार करने तथा प्रोन्नति के मामले के निष्पादनार्थ उनके विरुद्ध चल रहे आरोपों का एवं उनके कार्यों पर अंकित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का क्या एवं किस रूप में प्रभाव पड़ेगा, का उल्लेख किया गया है ।

2. सरकार के सामने कुछ ऐसे दृष्टान्त आए हैं जिनसे पता चलता है कि सभी मामले में एकरूपता नहीं बरती जा रही है । अतएव इन सभी बिन्दुओं पर भलीभांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि संपुष्टि / दक्षतारोध की देय तिथि के पूर्व के उन्हीं आरोपों पर विचार किया जाए जो प्रथम द्रष्टया प्रमाणित हों । देय तिथि के बाद के आरोपों का कुप्रभाव संपुष्टि / दक्षतारोध पर नहीं पड़ेगा । प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप तभी समझा जाएगा जब पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप के चलते दंडित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हो चुका है या जो तथ्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है । लेकिन अगर पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या नैतिक नीचता (Moral turpitude) के फौजदारी मुकदमा चल रहा हो तो उनकी संपुष्टि / दक्षतारोध के मामले को तबतक स्थगित रखा जा सकता है जब तक मुकदमा का निष्पादन नहीं हो जाता है ।

3. देय तिथि के पूर्व के तीन वर्षों की गोपनीय अभ्युक्तियों पर सामान्यत: विचार किया जायेगा । परन्तु यदि किसी वर्ष की अभ्युक्ति प्राप्त नहीं है या आंशिक रूप से प्रतिकूल है तो पदाधिकारी के वर्तमान नियंत्रक पदाधिकारी से उनके कार्य एवं आचरण के आधार पर अनुशंसा प्राप्त कर उनकी संपुष्टि / दक्षतारोध पार करने के संबंध में विचार किया जा सकता है ।

आदेश :- आदेश है कि इसकी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित करायी जाय और सरकार के सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलायुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
शि० प्र० श्रीवास्तव
सरकार के संयुक्त सचिव

[25]

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पत्र संख्या 3 / आर-1-108/39 का० – 20233

प्रेषक,

श्री के०ए० रामासुब्रह्मण्यम, मुख्य सचिव, बिहार सरकार।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी ।

दिनांक 8.11.1978 ।

विषय :- सेवाकाल में आरम्भ की गयी विभागीय कार्रवाई को सरकारी सेवक के सेवा निवृत होने के बाद चालू रखने के संबंध में ।

निदेशानुसार मुझे आपका ध्यान बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त नियम में यह प्रावधान है कि किसी सरकारी सेवक ने अपने सेवाकाल में लापरवाही एवं कदाचार के कारण यदि सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई हो तो उनके सेवा निवृत हो जाने के पश्चात् उनकी पेंशन की राशि का कोई भाग स्थायी तौर पर अथवा एक निश्चित अवधि के लिए रोका जा सकता है । साथ ही उक्त नियम 41 (बी) के बाद परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि सेवा निवृति के बाद किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध किसी ऐसी घटना के संबंध में विभागीय कार्रवाई आरंभ न की जाय जो ऐसी कार्रवाई के आरंभ किये जाने के 4 वर्ष पूर्व घटित हुई हो ।

2. सरकार के समक्ष ऐसे दृष्टान्त आये हैं कि सेवा काल में साधारण तथ्यों के आधार पर आरम्भ की गयी विभागीय कार्रवाई सेवा निवृति के बाद भी चालू रखी जाती है जिसके चलते सेवा निवृत सरकारी सेवक को उसके निष्पादन तक पेंशन नहीं मिल पाता जिससे उन्हें काफी आर्थिक कठिनाई हो जाती है ।

3. अत: मुझे अनुरोध करना है कि सेवा काल में ऐसे आरोपों के संबंध में प्रारंभ की गई वही विभागीय कार्रवाई उनके सेवा निवृति के बाद चालू रखी जाय जो प्रथम द्रष्टया प्रमाणित एवं घोर कदाचार की कोटि में आते हैं अथवा यह विश्वास करने का यथेष्ट कारण हो कि उन्होंने अपने कदाचार या लापरवाही द्वारा सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाई है जिसके लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए ।

यदि इन दोनों में कोई शर्त पूरी नहीं होती हो तो विभागीय कार्रवाई को उनकी सेवा निवृति के पश्चात चालू रखने का औचित्य नहीं है । ऐसी स्थिति में आदेय पेंशन का 75% का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जाय । उनकी भविष्य निधि की राशि का भी भुगतान तुरत कर दिया जाना चाहिए । परन्तु उपादान का भुगतान तभी किया जाय जब इस बिन्दु पर अन्तिम निर्णय हो जाय कि उनके विरुद्ध चलाई गई विभागीय कार्रवाई को आगे चलाई जाय या नहीं ।

कृपया इस आदेश से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को अवगत करा दें ।

[26]

पत्र संख्या का० 18326

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० ए० रामासुब्रह्मण्यम, सरकार के मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न) ।

पटना-15, दिनांक 27 सितम्बर, 1978

विषय :- **लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी कर देने पर आरोप को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित माना जाना ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोकायुक्त, बिहार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध नोटिस जारी किये जाने के बाद उन आरोपों को उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित समझा जायेगा । अत: इन आरोपों के अंतिम निष्पादन होने तक आरोपित पदाधिकारी के दक्षता-रोध, संपुष्टि एवं प्रोन्नति के मामले अवरुद्ध रहेंगे ।

अत: अनुरोध है कि आप कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि इस अनुदेश का आपके अधीनस्थ विभागों से अनुपालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप सं०- का० 18326 पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 1978

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह०/- सरकार के मुख्य सचिव ।

---

[27]

संख्या- ओ० एम० आर० 1-046/78-605

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री ईश्वरी प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / सरकार के सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 18 अगस्त, 1978 ।

विषय :- **निलम्बित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को निलम्बन से मुक्त कर पुनः नियुक्त करने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों की त्रैमासिक सूची के समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि अनेकानेक पदाधिकारी काफी लम्बे अर्से से निलम्बन में हैं एवं उस अवधि में उन्हें जीवन-यापन भत्ता दिया जा रहा है जिससे सरकार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है । अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे निलंबित राजपत्रित पदाधिकारियों को, जिनके निलंबन की अवधि 2 साल से अधिक हो गयी है तथा जिनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा जारी नहीं है, उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया जाय और उन्हें पुनः नियुक्त (Reinstate) किया जाय । ऐसे पदाधकारियों को पुनः नियुक्त (Reinstate) करने के पश्चात संबंधित प्रधान सचिव हरेक मामले को स्वयं ठीक से देख लें और यदि कोई ऐसा मामला हो जिसमें संबंधित पदाधिकारी को निलंबित रखना आवश्यक समझा जाय तो पुनः मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर उन्हें निलंबित किया जाय ।

इसी प्रकार अराजपत्रित पदाधिकारियों को भी जिनके निलंबन की अवधि 2 साल से अधिक हो गयी है तथा जिनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा जारी नहीं है बल्कि केवल विभागीय कार्यवाही चलायी जा रही है, निलंबन से मुक्त कर दिया जाय एवं उन्हें पुनः (Reinstate) किया जाय ।

पत्र प्राप्ति की सूचना देने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ईश्वरी प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

[28]

पत्र संख्या- 3 / एल 1-201 / 76-का०-2293

बिहार सरकार, कार्मिक विभाग ।

प्रेषक,

श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना- 15, दिनांक 9 फरवरी, 1977

विषय :- **संविधान (बियालिसवां संशोधन) अधिनियम 1976-संविधान के अनुच्छेद - 311 में संशोधन ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि संविधान (बियालिसवां संशोधन) अधिनियम 1976 की धारा 44 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) का संशोधन हुआ है एवं भारत सरकार, विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (वैधिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या- जी०ए०आर०-2 / ई दिनांक 3 जनवरी, 1977 द्वारा

उपर्युक्त संशोधन दिनांक 3 जनवरी, 1977 से प्रभावी है ।

2. संशोधन के बाद संविधान के अनुच्छेद 311 का उप खंड (2) निम्न प्रकार है :-

"(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an enquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of these charges :

Provided that when it is proposed after such enquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such enquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed :

Provided further that this clause shall not apply:-"

xx xx xx

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावित दंड के विरुद्ध संबंध सरकारी सेवक को द्वितीय कारण-पृच्छा (Second show cause) के लिये अवसर देने की अब आवश्यकता नहीं रही ।

3. मुझे अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को इससे अवगत करा दिया जाय । सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एंड अपील) रूल्स के नियम 55 में आवश्यक संशोधन करने की कार्रवाई अलग से की जा रही है ।

विश्वासभाजन,
ह०/- सच्चिदानन्द सिन्हा
सरकार के अवर सचिव ।

□ □ □